ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2021-2022)

21

सत्रहवीं लोक सभा

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

[ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) विषय संबंधी सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई]

इक्कीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

इक्कीसवां प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति
(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)

[ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) विषय संबंधी सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई]

16.03.2022 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया
16.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022 / फाल्गुन,1943 (शक)

सीआरडी सं. 175

मूल्यः रुपये.....

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ---------- द्वारा मुद्रित ।

विषय सूची

पृष्ठ सं.

समिति (2021-22) की संरचना		(ii)
प्राक्कथन		(iii)
अध्याय एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय दो	सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	23
अध्याय तीन	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	49
अध्याय चार	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं	50
अध्याय पांच	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	65

अनुबंध

एक.	समिति की 14.03.22 को हुई 8वीं बैठक के कार्यवाही सारांश का उद्धरण	66
दो.	ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण	68

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री प्रतापराव जाधव- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री शिशिर कुमार अधिकारी
3. श्री सी. एन. अन्नादुरई
4. श्री ए.के.पी. चिनराज
5. श्री राजवीर दिलेर
6. श्री विजय कुमार दुबे
7. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
8. डॉ. मोहम्मद जावेद
9. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी
10. श्री नलीन कुमार कटील
11. श्री नरेन्द्र कुमार
12. श्री जनार्दन मिश्र
13. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र
14. श्री तालारी रंगैय्या
15. श्रीमती गीताबेन वी राठवा
16. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
17. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
18. श्री बृजभूषण शरण सिंह
19. श्री के. सुधाकरन
20. डॉ आलोक कुमार सुमन
21. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

22. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
23. श्रीमती शांता क्षत्री
24. श्री शमशेर सिंह ढुलो
25. श्री इरण्ण कडाडि
26. डा. वानविरॉय खारलूखी
27. श्री नारणभाई जे. राठवा
28. श्री राम शकल
29. श्री बशिष्ठ नारायण सिंह
30. श्री अजय प्रताप सिंह
31. रिक्त

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री डी.आर. शेखर	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री ए.के. शाह	-	निदेशक
3..	श्री इनाम अहमद	-	कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) का सभापति समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) विषय के संबंध में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

2. 16वां प्रतिवेदन 05.08.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों पर सरकार के उत्तर 18.01.2022 को प्राप्त हुए थे।

3. समिति ने 14.03.2022 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

4. समिति के 16वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण **परिशिष्ट-दो** में दिया गया है ।

नई दिल्ली;

14 मार्च, 2022

23 फाल्गुन, 1943 (शक)

प्रतापराव जाधव

सभापति,

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

अध्याय-एक
प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का यह प्रतिवेदन ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) संबंधी सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित है।

2. सोलहवां प्रतिवेदन लोकसभा में दिनांक 05.08.2021 को प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में 19 टिप्पणियां/ सिफारिशें है ।

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की- गई- कार्यवाही संबंधी टिप्पण सरकार से प्राप्त कर लिए गए हैं। इनकी जांच कर ली गई है और उनको निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:-

(एक) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

क्रम सं. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

कुल: 14

अध्याय -II

(दो) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिन पर सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

क्रम सं. शून्य

कुल: शून्य

अध्याय -III

(तीन) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है:

क्रम सं. 2, 5, 9, 11, 12

कुल: 05

अध्याय -IV

(चार) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार से अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

क्रम सं. शून्य

कुल: शून्य

अध्याय -V

4. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण समिति को इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत कर दिये जाएं।

5. समिति अब अपनी उन टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी, जिनको दोहराए जाने या जिन पर टिप्पणियां किए जाने की आवश्यकता है।

एक. <u>लाभार्थियों का चयन</u>

<u>सिफारिश (क्रम सं. 2)</u>

6. लाभार्थियों के चयन के संबंध में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की:-

मंत्रालय का यह दावा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लक्ष्य एक सशक्त सुपुर्दगी और निगरानी तंत्र तथा स्थापित की गई उन्नत योजना शिल्प के माध्यम से 'वर्ष 2022 तक सभी के लिए घर' के सपने को साकार करना है, जोकि लाभार्थी की पहचान करने, ग्रामीण गरीबों की पहुंच से बाहर जटिल अपीलीय प्रक्रिया, में विद्यमान चुनौतियों को देखते हुए व्यवहारिक नहीं लगता। लाभार्थियों की पहचान करने में निर्वाचित ग्राम पंचायत निकायों द्वारा पूर्वाग्रहग्रस्त और राजनीति से प्रेरित रवैया अपनाए जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता और इसके साथ ही शिकायत समाधान अपीलीय तंत्र भी आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित ग्रामीण आबादी की पहुंच से बाहर है, इसके परिणामस्वरूप शिकायत करने हेतु सहायता प्रदान करने के किसी सहायता तंत्र के अभाव में यह एक निरर्थक कवायद सिद्ध होती है। समिति का यह मत और अधिक पुष्ट हो जाता है जब साक्ष्य के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने यह बताया कि ''संस्थाओं के बिगड़ जाने पर उनको ठीक करना बहुत कठित होता है। चूंकि संसद सदस्य डी.आई.एस.एच.ए. (दिशा) बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए वे खामियां उजागर करें और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा''। तथापि, समिति इस मत से पूरी तरह से सहमत नहीं है और महसूस करती है कि यदि लाभार्थियों के समुचित चयन की प्रारंभिक चिंता का निराकरण समुचित रूप से नहीं किया जाए तो गरीब ग्रामीणों की जीवन-दशा में सुधार लाने का सारा प्रयास ही निष्फल हो जाएगा । ऐसे परिदृश्य में जहां केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को जिला/पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किया जाता हो और उसकी केन्द्रीय स्तर पर निगरानी की जाती हो तो ग्राम सभा की भूमिका को घटाना और लाभार्थियों की सूची की पहचान/प्रमाणीकरण हेतु निजी संगठनों और गैर सरकारी निकायों को साथ जोड़ना और निष्पक्ष परिणामों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के ब्योरे और प्रगति के तथ्यात्मक सत्यापन हेतु प्रखण्ड विकास अधिकारियों को जवाबदेह

बनाकर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। संसद सदस्य निश्चय ही डी.आई.एस.एच.ए बैठकों में प्रगति की निगरानी करते हैं और विसंगतियों को उजागर करते हैं लेकिन मुद्दे केन्द्र और राज्य के अधिकार क्षेत्र के विवाद में गुम हो जाते हैं। अत: समिति चाहती है कि जवाबदेही निर्धारित करके प्रखण्ड विकास अधिकारियों को शामिल करने और गैर सरकारी संगठनों/निजी निकायों जो सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीब लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने में उनके लिए सहायता के स्तम्भ के रूप में कार्य कर सकें, को साथ जोड़कर सरपंच/ग्राम पंचायत की भूमिका को घटाकर तौर तरीकों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय हस्तक्षेप करे ताकि इस योजना के लक्षित लाभार्थियों की समुचित पहचान/प्रमाणीकरण किया जा सके और वर्तमान योजना का मन्तव्य साकार हो सके ।

समिति ने यह भी पाया है कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत के समय इसमें यह अधिदेश दिया गया था कि वर्ष 2021-2022 तक चयनित लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त पक्का घर उपलब्ध कराने के सपने को साकार करने के लिए 2.95 करोड़ मकान बनाए जाएंगे लेकिन अब वर्ष 2022 तक 2.49 करोड़ लाभार्थियों को ही इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तथापि, समिति महसूस करती है कि ग्राम पंचायतों के पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया अपनाए जाने और एसईसीसी-2011 के आंकड़ों में विसंगतियों को देखते हुए एक नई रणनीति तैयार करके एक लचीला दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि कोई भी जरूरतमंद बेघर अथवा यथापरिभाषित कच्ची छत के घरों में रहने वाले परिवार योजना के लाभ से वंचित न रह जाए और तदनुसार सूची को अद्यतन किया जाए ।

7. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

> पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन एसईसीसी-2011 में विनिर्दिष्ट आवास अभाव पैरा मीटरों और बहिर्वेशन मानदण्डों के आधार पर ग्राम सभा द्वारा विधिवत सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के समापन की शर्त के अधीन किया जाता है।
>
> पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता के पात्र जो परिवार एसईसीसी-2011 सर्वेक्षण के डाटा से तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल नहीं हुए उन अतिरिक्त पात्र परिवारों का चयन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'आवास+' सर्वेक्षण शुरू किया था। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत 3.57 करोड़ परिवारों को पंजीकृत किया गया। आवास+ सर्वेक्षण से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का आवंटन विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जा रहा है। आवास+ पर 3.57 करोड़ पंजीकरणों में से वास्तव में अभावग्रस्त परिवारों का चयन करने की आवश्यकता थी, ताकि उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा सके और इसलिए विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया। राज्यों और संघ राज्य

क्षेत्रों ने आवास+ डाटाबेस से 3.57 करोड़ पंजीकृत परिवारों में से 80.43 लाख अपात्र परिवारों के नाम हटा दिए हैं तथा 25 नवंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार 2.77 करोड़ पात्र परिवार शेष हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.95 करोड़ मकानों की उच्चतम सीमा के अधीन उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में अंतिम आवास+ सूची से अतिरिक्त पात्र परिवारों को शामिल करने और लक्ष्य आवंटित करने के संबंध में वित्त मंत्रालय के परामर्श से मंत्री, ग्रामीण विकास को प्राधिकृत किया था, जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सभी चयनित लाभार्थियों को लाभान्वित कर दिया है। ऐसे परिवारों की संख्या पीएमएवाई-जी के पहले चरण के संबंध में मंत्रिमंडल हेतु नोट में यथा अनुमोदित 2.95 करोड़ परिवारों और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापन के बाद स्थायी प्रतीक्षा सूची में बचे हुए लाभार्थियों की संख्या के अंतर के बराबर होगी। चूंकि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नामक कुछ राज्यों ने अब भी पीएमएवाई-जी की पीडब्ल्यूएल की एसईसीसी आधारित अपनी मौजूदा पीडब्ल्यूएल में शामिल सभी लाभार्थियों को लाभान्वित नहीं किया था, इसलिए मंत्रालय ने अब तक 50.99 लाख मकानों का लक्ष्य उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किया है, जो अपनी मौजूदा एसईसीसी पीडब्ल्यूएल में शामिल सभी लाभार्थियों को लाभान्वित कर चुके थे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर आवास+ सूची से लक्ष्यों का निर्धारण आवास+ संबंधी दो विशेषज्ञ समितियों द्वारा सुझाई गई कार्य प्रणाली के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय फिलहाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्राम पंचायत स्तर तक लक्ष्यों का आवंटन कर रहा है और उपर्युक्त लक्षित लाभार्थियों का चयन करके सूचियां आगे और कार्रवाई करने के लिए आवास साफ्ट पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई हैं। इस प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ग्राम पंचायत-वार प्राथमिकता सूचियां तैयार कर पाते हैं।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सही लाभार्थी के चयन की प्रक्रिया पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और दायित्व के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(छ) के अनुरूप है।

एसईसीसी-2011 सर्वेक्षण डाटा/आवास+ सर्वेक्षण डाटा से पात्र लाभार्थियों के चयन

की उपर्युक्त प्रक्रिया के अलावा, लाभार्थियों की पात्रता की पुष्टि मकान की स्वीकृति के समय भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा मकानों और प्रस्तावित निर्माण स्थलों के जियोटैग किए हुए फोटो आवास ऐप द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं।

एफ़एफ़आई के अनुसार, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान व्यवस्था भी स्थापित की जाती है। पदनामित शिकायत निपटान अधिकारी का संपर्क ब्यौरा तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्रत्येक पंचायत में दर्शाए जाते हैं। यदि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निपटान से संतुष्ट न हो तो वह आगे और उच्च स्तरों पर भी शिकायत दर्ज करा सकता/सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्राप्त शिकायतें निपटान के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेज दी जाती हैं। पदनामित अधिकारियों से कहा जाता है कि वे शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि में आवश्यक कार्रवाई करके की गई कार्रवाई रिपोर्ट ग्रामीण् विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करें तथा इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को भी दें। शिकायतों के निपटान के लिए मनरेगा के अंतर्गत लोकपाल की सेवाएं भी ली जा सकती हैं।

इसके अतिरिक्त शिकायतें सीपीजीआरएएमएस प्रणाली के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं, जिसमें शिकायतों के वर्गीकरण की अंतर्निहित व्यवस्था है। शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। गंभीर अनियमितताओं/आरोपों के मामलों में जांच करने के लिए केंद्र सरकार की टीमें भी भेजी जाती हैं।

जिन मामलों में केंद्र सरकार/राज्य सरकार की टीम द्वारा जांच के दौरान अधिकारियों/पंचायत अधिकारी/प्रधान इत्यादि के विरूद्ध शिकायत सही पाई जाती है उन मामलों में चूक करने वाले अधिकारियों को विरूद्ध तुरंत कार्रवाई की जाती है। चूक करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय ने राज्यों को निम्नलिखित कार्रवाई करने के सुझाव दिए हैं:-

(i) चूक करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए।

(ii) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत एफटीओ पर द्वितीय हस्ताक्षर करने वाले संबंधित बीडीओ और कार्यों का प्रमाणन एवं निरीक्षण करने वाले अन्य पर्यवेक्षकों

के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

(iii) जिन मामलों में चूक करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई में देरी हो उन मामलों में अधिकारियों तथा अन्य संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया जाए।

(iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई का सोशल मीडिया सहित अन्य प्रचार माध्यमों पर व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

उपर्युक्त शिकायत निपटान व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि अपात्र परिवारों के चयन के मामलों या ऐसे अन्य मामलों में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

केंद्र सरकार द्वारा निधियों की समय पर रिलीज किए जाने के बावजूद राज्य अंश को रिलीज न किए जाने के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च, 2021 के बाद मार्च, 2024 तक पीएमएवाई-जी के विस्तार को इस उद्देश्य से अनुमोदित कर दिया है कि राज्य मार्च, 2024 तक 2.95 करोड़ मकानों के लक्ष्य को पूरा कर पाएं।"

8. **समिति ने पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान में विसंगतियों की मौजूदा चुनौतियों का संज्ञान लिया और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए पारदर्शी और सशक्त प्रणाली के अभाव में** 2022 **तक 'सभी के लिए आवास' के स्वप्न को साकार करने के लिए मंत्रालय के दृष्टिकोण के संबंध में चिंतित थी। इसलिए, समिति ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को शामिल करने और एक लचीला दृष्टिकोण अपनाने के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों/निजी निकायों की भागीदारी के माध्यम से सरपंच/ग्राम-पंचायत की भूमिका को कम करके कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति छूट न जाए।**

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों से, आवास + सर्वेक्षण के अनुसार, 25 **नवंबर**, 2021 **तक अतिरिक्त** 2.77 **करोड़ परिवार पात्र बने हुए हैं और मंत्रालय ने अब तक उन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को** 50.99 **लाख घरों का लक्ष्य दिया है, जिन्होंने अपनी मौजूदा एसईसीसी स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) को पूरा कर लिया है। समिति, किए जा रहे प्रयासों का संज्ञान लेते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद** 243 **(जी) को उद्धृत करने में मंत्रालय के दृष्टिकोण और सही लाभार्थियों की पहचान में ग्राम पंचायतों की भूमिका के संबंध में उठाए गए मुद्दे पर मौन प्रतिक्रिया से सहमत नहीं है। इसके अतिरिक्त, समिति को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत**

वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने की चिंता से संबंधित कोई ठोस उत्तर भी नहीं मिला है। मंत्रालय से यह आशा की जाती है कि वह लाभार्थियों की पहचान करने से संबन्धित मुद्दों के समाधान और पीएमएवाई-जी के संदर्भ में ग्राम पंचायतों द्वारा शक्ति के समुचित प्रयोग के लिए एक कठोर तंत्र स्थापित करेगा। इसलिए, समिति ऐसे समय में जबकि समय सीमा को मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं के उपयुक्त समाधान के लिए अपनी सिफारिश को दोहराती है ।

दो. <u>प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अंतर्गत इकाई सहायता और ऋण सुविधा</u>

<u>सिफारिश (क्रम सं. 5)</u>

9. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत इकाई सहायता और ऋण सुविधा के संबंध में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की:-

मंत्रालय ने यह स्वीकार करते हुए कि लाभार्थी के पास भूमि का स्वामित्व होता है, प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होता है और इकाई की लागत में काफी वृद्धि की गई है जैसे कारकों के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत इकाई सहायता में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और यह भी बताया कि 5 राज्य अर्थात, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, दादरा और नगर हवेली तथा आंध्र प्रदेश वित्तीय संस्थाओं से 70,000 रुपये की ऋण सुविधा की उपलब्धता के अतिरिक्त लाभार्थियों के लिए विशेष टॉप-अप योजनाएं चलाते हैं । इसको देखते हुए समिति महसूस करती है कि योजना के अंतर्गत निर्माण व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता की पुन: जांच किए जाने की जरूरत है। समिति का मत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की इकाई सहायता को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की इकाई सहायता के बराबर नहीं लाने हेतु दिया गया मंत्रालय का विचार उनकी इस स्वीकारोक्ति को देखते हुए सही सिद्ध नहीं होता है कि लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि विभिन्न राज्य सरकारें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत घरों के निर्माण हेतु टॉप-अप सहायता प्रदान करें। दूसरा यह कि मंत्रालय की यह बात कि वर्तमान यूनिट सहायता लक्ष्यों को प्राप्त न किए जाने के कारणों में से एक नहीं है, पीएमएवाई- जी के चरण 1 के बैकलाग और चरण 2 के लक्ष्यों को प्राप्त न किए जाने संबंधी आंकड़ों से विरोधाभासी है। यही नहीं, रु 70000 की ऋण योजना लाभार्थियों को अपनी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के दृष्टिगत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन परिस्थितियों के

कारण उनके लिए कुछ गिरवी रखना और उच्च ब्याज/प्रशासनिक लागत वहन करना असंभव हो जाता है । साथ ही,यह कहना कि अप्रैल 2016 से इकाई लागत में अत्यधिक बढ़ोतरी की गई है , उचित नहीं है क्योंकि इकाई-वार प्लॉट का आकार पूर्ववर्ती योजना के 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर पीएमएवाई- जी के अंतर्गत 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है और पिछले 5 वर्षों के दौरान विशेष रूप से दूरस्थ, पर्वतीय और दुर्गम मैदानी क्षेत्रों में परिवहन लागत में बढ़ोतरी के साथ -साथ कुल लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। समिति आगे यह पाती है कि सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मामले में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है और देश के हिमालयी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित साइट पर भवन निर्माण सामग्री के परिवहन पर की जा रही उच्च परिवहन लागत के संबंध में समाधान सुझाया है । इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने अपने साक्ष्य में आगे बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त संकेतों के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए निधियों की कोई कमी नहीं होगी । इस संबंध में समिति का मानना है कि मंत्रालय के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह वर्तमान मूल्य सूचकांक के आधार पर पीएमएवाई-जी के अंतर्गत इकाई सहायता में कुछ बढ़ोतरी करने पर विचार करे और इस संबंध में समाधान सुझाए । अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि, चूँकि यह योजना अभी मध्य अवधि में है और लक्ष्यों को 2022 तक पूरा किया जाना है, इसलिए यह उचित होगा कि मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में सहायता लागत में रु. 10000 की बढ़ोतरी करने पर विचार किया जाए । समिति यह भी सिफारिश करती है कि राज्य योजनाओं के साथ विलय के माध्यम से ईकाई सहायता को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएं जिससे कि पीएमएवाई-जी योजना को सभी राज्यों में सफल बनाया जा सके ।

10. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

> "पीएमएवाई-जी के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता 1.20 लाख रुपये और दुर्गम क्षेत्रों,आईएपी जिलों, पहाड़ी राज्यों (संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख सहित) में 1.30 लाख रुपये है। इकाई सहायता के अलावा, महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ अनिवार्य तालमेल के माध्यम से लाभार्थियों को 90/95 श्रम दिवस की अकुशल मजूदरी की सुविधा भी प्रदान की जाती है। एसबीएमजी, मनरेगा योजना अथवा किसी विशिष्ट वित्तपोषण स्रोत के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है। शौचालय सहित आवास के निर्माण के लिए लाभार्थियों को उपलब्ध कुल सहायता मैदानी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये और दुर्गम क्षेत्रों में 1.60 लाख रुपये है।

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के पैरा संख्या 6.2.4 में यह प्रावधान है कि राज्य लाभार्थियों के लिए किफायती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की निर्माण सामग्री का प्रबंध भी कर सकते हैं। सामग्री बैंक की यह व्यवस्था उस स्थिति में लागू की जा सकती है जब लाभार्थियों ने निर्माण सामग्री खुले बाजार से खरीदने की बजाय राज्य सरकारों से प्राप्त करने के लिए सहमति दी हो। पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड सहित कुछ पहाड़ी राज्यों में राज्य सरकार लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के स्थान पर निर्माण सामग्री प्रदान करती है ताकि उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में किफायती दरों पर निर्माण सामग्री प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।

वृद्ध/नि:शक्त लाभार्थियों के मामले में ऐसे आवासों का निर्माण ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में करवाया जाता है।

पीएमएवाई-जी के तहत दिनांक 27 अक्तूबर, 2021 तक 2.07 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 1.61 करोड़ आवासों का निर्माण पहले ही पूरा कर लिया गया है। इस स्थिति में इकाई सहायता में वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं होगा।

इसके अलावा, मंत्रालय ने इस योजना को मार्च, 2021 से मार्च, 2024 तक बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की सहमति प्राप्त कर ली है जिसने पीएमएवाई-जी को मौजूदा फ्रेमवर्क के साथ जारी रखने की सिफारिश भी की है अत: वर्तमान में इकाई सहायता में किसी प्रकार की वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता।

पीएमएवाई-जी की पीडब्ल्यूएल में 446,058 भूमिहीन (जिनके पास आवास का निर्माण करने के लिए भूमि नहीं है) लाभार्थी हैं जिसमें से 2,05,847 लाभार्थियों को भूमि प्रदान की गई है अथवा भूमि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। असम, तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्यों में भूमिहीन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य की अपनी योजनाएं हैं।

कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को आवासों का निर्माण करने के लिए इकाई सहायता के अलावा अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जिनका विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अतिरिक्त सहायता राशि (रूपए में)
1	गुजरात	आवास निर्माण पूरा होने की गति बढ़ाने के लिए, गुजरात सरकार पहली किस्त जारी करने के 6 महीने के भीतर अपने मकान का निर्माण करने वाले लाभार्थियों को 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है।
2	हरियाणा	18,000
3	हिमाचल प्रदेश	20,000
4	केरल	2,80,000
5	ओडिशा	आवास निर्माण पूरा होने की गति बढ़ाने के लिए, ओडिशा सरकार पहली किस्त जारी होने के 4 महीने के भीतर अपने मकान बनाने वाले लाभार्थियों को 20,000 रुपये और पहली किस्त जारी होने से 6 माह के भीतर अपने मकान का निर्माण करने वाले लाभार्थियों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है।
6	सिक्किम	मकान निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में लाभार्थियों को 30 सीजीआई शीट प्रदान की जा रही है।
7	तमिलनाडु	1,20,000
8	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	1,20,000
9	आंध्र प्रदेश	30,000 (मैदानी क्षेत्रों में); 20000 (आईएपी जिलों में)
10	कर्नाटक	30,000 (केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए)

11. निर्माण से संबंधित बढ़ते मुद्रास्फीतिगत व्यय और लाभार्थियों द्वारा 70,000/- **रुपये के ऋण का लाभ उठाने में आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी योजना के तहत प्रदान की जा रही मौजूदा वित्तीय सहायता की समीक्षा करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, समिति ने वर्तमान मूल्य सूचकांक के आधार पर इकाई सहायता में वृद्धि करने की सिफारिश की थी।**

तथापि, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तरों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "ऐसे समय में यूनिट सहायता में वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं हो सकता है" और यह भी कि "वित्त मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी को मौजूदा ढांचे के साथ जारी रखने की सिफारिश भी की है और इसलिए वर्तमान में प्रति यूनिट सहायता में किसी वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता।" समिति की दृष्टि में यह उत्तर पूरी तरह से असंतोषजनक है और इसमें समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के लाभार्थियों के प्रति सहानुभूति की कमी है। समय के बीतने और कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण, समिति को लगता है कि आवश्यकता इस बात की है कि पीएमएवाई-जी के तहत प्रति यूनिट सहायता को विवेकपूर्ण तरीके से ऐसे दृष्टिकोण के साथ बढ़ाया जाए जो इस मुद्दे को एक तार्किक निष्कर्ष प्रदान करता हो और समिति पीएमएवाई-जी के तहत मौजूदा इकाई सहायता की उपयुक्त समीक्षा/वृद्धि की अपनी सिफारिश को दोहराती है।

तीन. <u>वित्तीय संस्थानों से रु. 70000 की ऋण योजना</u>

<u>सिफारिश (क्रम सं. 6)</u>

12. वित्तीय संस्थानों से 70,000/- रुपए की ऋण सहायता के संबंध में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की:-

समिति ने जांच के दौरान वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में आ रही समस्याओं को रेखांकित किया और पाया कि पीएमएवाई- जी के अंतर्गत अधिकांश लाभार्थी घरों के निर्माण के लिए रु 70000 की ऋण सुविधा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे समाज के आर्थिक रूप से

कमजोर वर्ग से संबंध रखते हैं जो कि न तो अधिक ब्याज दे सकते हैं और न ही उनके पास बंधक रखने अथवा प्रतिभूति के लिए कोई सामान/ संपत्ति होती है । मंत्रालय ने इस तथ्य की ओर भी इंगित किया कि उच्च प्रशासनिक लागत, ब्याज दर और सामान गिरवी रखने इत्यादि के कारण वित्तीय संस्थानों से रु 70000 की ऋण सहायता प्राप्त करने वाले कुछ ही लोग हैं । उन्होंने यह भी बताया कि वे वर्तमान में इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के सहयोग से गिरवी रखने संबंधी न्यूनतम आवश्यकताओं और कम ब्याज दरों वाली ऋण योजना तैयार करने पर कार्य कर रहे हैं । अतः, समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह अपने प्रयासों में तेजी लाए और न्यूनतम सामान गिरवी रखने, कम प्रशासनिक लागत तथा कम ब्याज दरों वाली ऋण योजना तैयार करे जिसे स्थानीय भाषाओं में पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के बीच व्यापक रूप से परिचालित किया जाए ।

13. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

> "पीएमएवाई-जी के तहत ऋण उत्पाद तैयार करने की रूपरेखा पर विचार-विमर्श करने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के प्रतिनिधियों के साथ उप-महानिदेशक (ग्रामीण आवास) की अध्यक्षता में दिनांक 28 जुलाई, 2021 को बैठक आयोजित की गई थी। यह महसूस किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम दिशानिर्देशो को ध्यान में रखते हुए इन उत्पादों का विश्लेषण किए जाने और ऐसे लाभार्थी जिनके लिए विशेष रूप से महिला के लिए अथवा पति और पत्नी के लिए संयुक्त रूप से आवास स्वीकृत किए गए हैं ऐसे लाभार्थियों को ऋण उत्पादों की सुविधा प्रदान करने की संभावनाएं तलाश करने की आवश्यकता है। तदनुसार, आईबीए के वरिष्ठ सलाहकार से अनुरोध किया गया था कि वे इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए सदस्य बैंकों/पीएलआई के परामर्श से ऋण उत्पादों को फिर से तैयार करके इस मंत्रालय को प्रस्तुत करें।
>
> 'ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋणों के प्रवाह में वृद्धि करने' के संबंध में दिनांक 17.11.2021 को आयोजित बैठक में सचिव, ग्रामीण विकास द्वारा इस मामले को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के समक्ष भी उठाया गया था।
>
> ग्रामीण विकास मंत्रालय इस मामले का शीघ्र समाधान करने के लिए वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग और भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के साथ दिनांक 23.12.2021 को एक और बैठक आयोजित करेगा। "

14. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मकान के निर्माण के लिए 70,000/- रुपये के ऋण का लाभ उठाने की सुविधा के संबंध में, समिति को यह जानकर दु:ख हुआ कि ऋण प्राप्त करने में लाभार्थी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिसमें कि ब्याज की उच्च दरें और समाज के गरीब वर्गों के बीच बंधक/प्रतिभूति सामान की अनुपलब्धता शामिल हैं। इसके आलोक में, समिति ने मंत्रालय को न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रशासनिक लागत तथा कम ब्याज दरों वाले आकर्षक ऋण उत्पाद लाने की सिफारिश की थी। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों में कहा गया है कि डीडीजी (आरएम) की अध्यक्षता में 28 जुलाई, 2021 को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के प्रतिनिधियों के साथ पीएमएवाई-जी के तहत ऋण उत्पाद तैयार करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह महसूस किया गया था कि आरबीआई के नवीनतम दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद का विश्लेषण करने और ऐसे लाभार्थियों को ऋण उत्पाद की सुविधा प्रदान करने की संभावना का पता लगाने की आवश्यकता थी जिनका आवास केवल महिला के नाम पर या पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर स्वीकृत किया गया हो और इस मामले को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के समक्ष भी उठाया गया हो।

समिति की दृष्टि में मंत्रालय की उपरोक्त पहलें ऋण वितरण को प्रभावित करने वाले मुद्दे को हल करने की दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम हैं, लेकिन उत्तर में इस संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ 23.12.2021 को आयोजित होने वाली प्रस्तावित बैठक का कोई ब्यौरा नहीं मिलता है। समिति का यह भी एक मत है कि योजना के मार्च, 2024 तक विस्तार के दृष्टिगत, इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि लाभार्थी उत्साहजनक रूप से इस विकल्प का उपयोग कर सकें। इसलिए, समिति यथाशीघ्र सरलीकृत ऋण उत्पाद योजना की अपनी सिफारिश को दोहराती है।

चार. <u>भूमिहीनता</u>

<u>सिफारिश (क्रम सं. 9)</u>

15. भूमिहीनता के संबंध में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की:-

समिति इस बात की सराहना करती है कि भूमिहीनता के संबंध में उच्च स्तर पर कार्रवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत राज्यों को पीएमएवाई-जी लाभार्थियों में भूमिहीनता का नियमित रूप से आकलन करने के लिए और सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि (पंचायत की साझा भूमि, सामुदायिक भूमि अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि) में से भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। तीन राज्य अर्थात बिहार, महाराष्ट्र और असम स्थल खरीदने हेतु क्रमशः 60000 रुपए, 50000 रुपए और 50000 रुपए देते हैं तथा ओडिशा द्वारा वसुधा योजना शुरू की गई है जिसमें सरकारी भूमि का आबंटन करने और सरकारी भूमि उपलब्ध न होने की दशा में आबंटन हेतु उचित भूमि खरीदने का प्रावधान है । समिति यह पाती है कि इन प्रयासों के बावजूद कुल 427975 भूमिहीन लाभार्थियों में से 229321 (65.26%) लाभार्थियों को अभी भूमि दी जानी है जो कि योजना की पूर्ण सफलता पर गंभीर प्रश्न चिह्न खड़ा करता है । अन्य राज्यों के साथ-साथ महाराष्ट्र में 81193, ओडिशा में 52731, तमिलनाडु में 43718 और असम में 29591 लाभार्थियों सहित कुल 279321 लाभार्थियों को अभी जमीन दी जानी है ।उक्त से यह स्पष्ट है कि ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग करने के लिए मकान बनाने हेतु स्थायी प्रतीक्षा सूची में भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का ब्योरा प्राप्त करने हेतु तैयार किए जा रहे आवास सॉफ्ट मॉड्यूल के साथ-साथ राज्यों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराने संबंधी योजना पर चार राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए। यह स्पष्ट है कि सरकारी भूमि की अनुपलब्धता और अतिक्रमण के कारण कई बाधाएं आती हैं जिनका समयबद्ध रूप में समाधान किया जाना चाहिए। अतः,समिति यह सिफारिश करती है कि बाधाओं को दूर करने हेतु विद्यमान तंत्र को बेहतर बनाया जाना चाहिए जिससे कि मकान के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए गरीब लोगों में भूमिहीनता के मामले पर प्राथमिकता से विचार किया जा सके।

16. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"मंत्रालय पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध कर चुका है कि वे समयानुसार मुद्दे का समाधान करें और सभी भूमिहीन लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे सचिव (राजस्व) और पीएमएवाई-जी के कार्य से संबद्ध सचिव को शामिल करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करें ताकि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से भूमि आवंटित की जा सके। इस मामले को मंत्री (ग्रामीण विकास) के स्तर पर ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी उठाया गया है जिनमें पीएमएवाई-जी के तहत भूमिहीन लाभार्थियों की अधिकतम संख्या है और वे उनके लिए भूमि के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, आवाससॉफ्ट पर एक भूमिहीन मॉड्यूल भी बनाया गया है, इस प्रकार पीएमएवाई-जी के तहत बेहतर निगरानी तंत्र को अपनाने और भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि के समयानुसार प्रावधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण पत्राचार निम्नानुसार हैं:-

i. माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने अपने पत्रों (दिनांक 5 सितंबर, 2018 का अ.शा.पत्र स. 13011/05/2013-एलआरडी एवं दिनांक 30 अप्रैल, 2022 का अ.शा.पत्र स. जे-11014/01/2016-आरएच) में राज्यों/संघ राजय क्षेत्रों के माननीय मुख्यमंत्रियों प्रशासकों से अनुरोध किया है कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में भूमिहीन लाभार्थियों को शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने के लिए कार्यबल समिति का गठन करें।

ii. संयुक्त सचिव, ग्रामीण आवास ने अपने पत्र [अ.शा.पत्र स. जे-11060/07/2018-आरएच (एम एवं टी), दिनांक 4 जनवरी, 2019] में संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे समयानुसार भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध तरीके से आवश्यक कदम उठाएं।

iii. माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने अपने पत्र (संख्या जे-11060/07/2018आरएच (एम एवं टी), दिनांक 16 सितंबर, 2019] में भूमिहीनों के लिए सहायता राशि हेतु बिहार राज्य की योजना का ब्यौरा साझा किया है।

iv. माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने मानवीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजे गए अपने पत्र [संख्या एम-12018/2/2016-आरएच (एम एवं टी), दिनांक 10.08.2020] में अनुरोध किया है कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से संबंधित सर्वाधिक पात्र भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को एमओटीए की किसी भी उपयुक्त योजना के अंतर्गत भूमि प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए।

v. माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने अनुरोध किया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) की किसी भी उपयुक्त योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से संबंधित सर्वाधिक पात्र भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को भूमि प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए।

vi. सचिव, ग्रामीण विकास ने अपने पत्र (सं.जे-11014/01/2016-आरएच, दिनांक 9 अप्रैल, 2021) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया कि वे भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था में शीघ्रता लाने के लिए सदस्यों के रूप में राज्य ग्रामीण विकास सचिव तथा राजस्व सचिव को शामिल करते हुए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्य बल का गठन करें।"

17. समिति इस बात को नोट करके चिंतित है कि राज्यों के बीच भूमिहीनता का मुद्दा पीएमएवाई-जी के उचित कार्यान्वयन के रास्ते में बाधा उपस्थित कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप जरूरतमंद लाभार्थी हमेशा आश्रय की खोज के लिए कतार में खड़े रहते हैं और 'सभी के लिए आवास' का उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है। इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से लेते हुए, समिति ने मंत्रालय से सिफारिश की थी कि वह पृथक प्रणाली तैयार करे और इस मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए युद्ध स्तर पर भूमिहीनता के मामले के समाधान के लिए राज्यों के साथ मिलकर दृढ़ता पूर्वक कार्रवाई करे।

इस सन्दर्भ में, समिति पाती है कि मंत्रालय का उत्तर नियमित प्रकृति का है, जिसमें किसी ठोस उपाय का उल्लेख नहीं है जिससे कम समय में वांछित परिणाम प्राप्त हो सकें। वर्ष 2018 के बाद से राज्यों के साथ विभिन्न लिखित पत्राचार का विवरण दिया गया है जो अपने आप में सिद्ध करता है कि इस तरह के प्रयास से आवश्यक समाधान नहीं होता है और यह अत्यावश्यक है कि देश भर में भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि के तेजी से आवंटन के लिए एक संशोधित और नवीन दृष्टिकोण अपनाया जाए। लंबे समय तक इस प्रक्रिया को लटकाने से इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, इसलिए समिति पीएमएवाई-जी के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने/आबंटन करने हेतु की गई अपनी सिफारिश को दृढ़ता से दोहराती है।

पांच. <u>प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)</u>

<u>सिफारिश (क्रम सं. 11)</u>

18. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के संबंध में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की:-

समिति को जांच और फील्ड दौरों के दौरान बैंक कर्मियों और ग्राम सभा कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से होने वाली अनियमितताओं का पता चला जबकि मंत्रालय ने बताया कि डीबीटी अंतरण को ऐसी चुनौतियों को दूर करने के लिए अपनाया गया था । समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि वास्तविकता का पता लगाने के लिए मंत्रालय को इस मुद्दे पर राज्य सरकारों और पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के विचार जानने चाहिए । समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय लाभार्थियों को सुचारु रुप से निधि के अंतरण के लिए त्रुटि रहित प्रणाली बनाएं और साथ ही पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवासों के पूर्ण होने के विभिन्न चरणों की निधि/किश्तों के अंतरण में जवाबदेही सुनिश्चित हो और अनियमितताएं न हों ।

19. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"राज्यों/संघ क्षेत्रों में वास्तविक लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी निधियों की रिलीज के लिए डीबीटी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ने हाल ही में 01 नवंबर 2021 से आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लागू करने के लिए अ.शा.पत्र संख्या जे-11060/21/2021-आरएच, दिनांक 15 सितंबर, 2021 के जरिए पत्राचार किया है।

संबंधित लाभार्थियों के नाम से एफटीओ बनाते समय एसईसीसी रिकॉर्ड और बैंक ब्यौरों के बीच पीएमएवाई-जी लाभार्थी के नाम इत्यादि में मिलान न होने के कारण बीडीओ/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा नियंत्रण के माध्यम से पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को भुगतान करने से संबंधित मुद्दे ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष आए हैं। इस संबंध में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे उन लाभार्थियों का शत-प्रतिशत सत्यापन करें जिन्हें बीडीओ के नियंत्रण द्वारा पीएमएवाई-जी का लाभ प्राप्त हुआ है। अभी तक 1,03,02,534 बेमेल मामलों में से 114,19,299 मामलों का सत्यापन किया गया है। इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में अनियमितताएं पाई गई हैं, उन पर सरकार द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस मुद्दे पर लाभार्थियों/कर्मियों को भी प्रेरित किया जा रहा है।

मंत्रालय के ग्रामीण आवास प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिनांक 6 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों के पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के साथ चर्चा की है। इस चर्चा के दौरान लाभार्थियों ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि प्राप्त होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सभी लाभार्थियों ने सूचित किया है कि उन्हें सीधे उनके खाते में उनकी किस्तें मिल रही हैं। "

20. लाभार्थियों को धन अंतरण करने में होने वाली अनियमितताओं से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) शुरू किया गया था। तथापि, समिति को फील्ड दौरों और बातचीत के दौरान डीबीटी में विभिन्न मुद्दों का पता चला जोकि वास्तविक लाभार्थियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं। अत: समिति ने मंत्रालय से इस संबंध में राज्य सरकारों और पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के विचार जानने और लाभार्थियों को निर्बाध रूप से धन के

अंतरण के लिए एक त्रुटिरहित तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की थी। इस संबंध में मंत्रालय के लिखित उत्तरों में कहा गया है कि डीबीटी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकारों को 01 नवंबर, 2021 से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) को लागू करने के लिए पत्र भेजा गया था। यह भी विस्तार से बताया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को लाभार्थियों के नाम पर निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) जारी करते समय एसईसीसी रिकॉर्ड और बैंक ब्यौरे में पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के नाम और ब्यौरे में अंतर के कारण बीडीओ/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा ओवरराइडिंग के माध्यम से पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को भुगतान करना पड़ता है। अत: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उन लाभार्थियों के 100% सत्यापन का अनुरोध किया था जिन्हें ओवरराइडिंग के माध्यम से (बीडीओ द्वारा) पीएमएवाई-जी का लाभ मिला था। यह भी बताया गया है कि अब तक 10.3 करोड़ (लगभग) विसंगति के मामलों की तुलना में, केवल 14.19 लाख (लगभग) मामलों का सत्यापन किया गया था और जहां अनियमितताएं पाई गई थी वहां दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही थी ।

समिति को उत्तरों से पता चलता है कि डीबीटी में कथित अनियमितताओं के बारे में इसी विचार का समर्थन किया जा रहा है, तथापि, समिति की यह राय भी है कि सत्यापन करने और विसंगतियों के उन्मूलन की प्रक्रिया में गति लाने के साथ-साथ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए ताकि रिकॉर्ड को ठीक किया जा सके। इसलिए, समिति वास्तविक लाभार्थियों की चिंताओं के निवारण के लिए डीबीटी से जुड़ी गलत प्रथाओं को दूर करने की अपनी सिफारिश को दोहराती है।

छह. <u>स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के साथ तालमेल करके शौचालयों का निर्माण</u>

<u>सिफारिश (क्रम सं. 12)</u>

21. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के साथ तालमेल से शौचालयों का निर्माण करने के संबंध में समिति ने निम्नवत सिफारिश की:-

समिति यह नोट करती है कि इस योजना के अंतर्गत प्लास्टिक टैंक के साथ शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, तथापि, समिति मंत्रालय से इस संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त न होने से क्षुब्ध है । शौचालयों का निर्माण पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है । समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि शौचालयों को पूर्णतः चालू स्थिति में बनाए रखने हेतु मंत्रालय के बीच समन्वय होना चाहिए । आगे समिति ने स्वच्छ भारत मिशन योजना (एसबीएम) के साथ तालमेल के माध्यम से पीएमएवाई-जी इकाइयों में शौचालयों के निर्माण के पश्चात रु 12000 के विलंबित भुगतान का विषय उठाया और यह इच्छा व्यक्त की कि इस समस्या का समाधान संबंधित मंत्रालय के साथ समन्वय से निकाला जाए । एमओआरडी के सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण में संरचनात्मक समस्याओं के कारण शौचालयों के निर्माण के पश्चात भुगतान में हो रहे विलंब की समस्या को स्वीकार किया तथा उनके समन्वय करके इस मामले के समाधान के लिए सहमति दी । समिति का मत है कि चूंकि नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 2014 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना में स्पष्ट रूप से तालमेल की कमी सहित अन्य कमियों को उजागर किए जाने के पश्चात, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पीएमएवाई -जी को अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल कर मूलभूत सुविधाओं को शामिल करने हेतु आरंभ किया गया था, अतः यह ग्रामीण विकास मंत्रालय का दायित्व बनता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों के साथ व्यापक समन्वय के द्वारा खामियों को दूर कर अन्य योजनाओं के साथ तालमेल कर योजना का उद्देश प्राप्त करे ना कि यह कहते हुए अपने दायित्व से बचे कि प्रश्नगत विषय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित है । अतः समिति यह सिफारिश करती है कि पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों के कल्याण के लिए लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए तालमेल हेतु उत्तरदायी मंत्रालयों के साथ समन्वय करके कमियों/चुनौतियों का समाधान किया जाए जिससे शौचालयों को पानी के कनेक्शन के साथ चालू किया जाना और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके । समिति आगे यह इच्छा व्यक्त करती है कि पानी के कनेक्शन के साथ मुहैया करायी जा रही पीएमएवाई

-जी इकाइयों की संख्या से संबंधित जानकारी को आवास ऐप में त्वरित जानकारी/परिणाम के लिए शामिल किया जाए ।

22. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"मंत्रालय ने बिजली कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, पेयजल, शौचालय निर्माण इत्यादि के लाभ प्रदान करने के लिए संबद्ध मंत्रालयों, जिनके साथ पीएमएवाई-जी को जोड़ा गया है, के साथ तालमेल एवं समन्वय के स्तर के विश्लेषण पर एक समिति पहले ही गठित कर दी है। मंत्रालय ने तालमेल के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु एनआईआरडी एवं पीआर के माध्यम से किए जाने वाले अध्ययन की योजना पहले ही बना ली है। मंत्रालय योजनाओं के एमआईएस के मध्य आंकड़ों के अंतरण के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहित संबद्ध मंत्रालयों, जिनके साथ पीएमएवाई-जी को जोड़ा गया है, के साथ परामर्श कर रहा है, ताकि पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को दिए जाने वाले तालमेल के लाभ आवाससॉफ्ट एमआईएस पर उपलब्ध हों। यह उल्लेख किया जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की संबंधित योजनाओं के साथ प्रभावी तालमेल के लिए निगरानी और सुझाव प्रदान करने के लिए संबद्ध मंत्रालयों के सदस्यों को शामिल करते हुए अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

दिनांक 23.11.2021 की स्थिति के अनुसार आवाससॉफ्ट में प्राप्त की गई तालमेल की स्थिति निम्नानुसार है:-

कुल पुरे किए गए	ऐसे मकानों की कुल संख्या जिनके लिए तालमेल आंकड़े दर्ज किए गए हैं।	निर्मित शौचालय	बिजली कनेक्शन	एलपीजी कनेक्शन	पानी का कनेक्शन
16433787	6935328	6495745	6503424	6122399	3886495

23. समिति ने एसबीएम (जी) के साथ तालमेल करने के माध्यम से पीएमएवाई-जी के तहत घरों में शौचालयों का निर्माण किये जाने के प्रावधान का संज्ञान लिया, जिसके लिए 12,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है। यद्यपि, समिति की चिंता का कारण यह है कि उसने यह देखा कि पीएमएवाई-जी के तहत शौचालयों के निर्माण के बाद 12,000/- रुपये के भुगतान

का मुद्दा विलंबित था जो पीएमएवाई-जी के उद्देश्य की वास्तविक प्राप्ति के साथ-साथ लाभार्थियों के हितों को भी प्रभावित कर रहा था। इस संबंध में समिति ने मंत्रालय से संबंधित जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के साथ प्रभावी समन्वय करने की सिफारिश की थी ताकि लाभार्थियों को जल कनेक्शन के साथ-साथ शौचालय निर्माण के लिए सहायता राशि समय पर जारी की जा सके।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है कि जिन मंत्रालयों को पीएमएवाई-जी के साथ जोड़ा गया था, उनके साथ तालमेल और समन्वय के स्तर का विश्लेषण करने के लिए पहले ही एक समिति का गठन किया जा चुका है। उत्तर से यह भी स्पष्ट है कि 23.11.2021 को 1.64 करोड़ (लगभग) घरों में से, 64.95 लाख (लगभग) घरों में शौचालयों का निर्माण किया गया है और केवल 38.86 लाख (लगभग) घरों में पानी का कनेक्शन लगाया गया है। ये आंकडे समिति द्वारा उठाई जा रही चिंता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। ऐसे खराब आंकड़ों को देखते हुए, समिति लाभार्थियों को सहायता घटक में विलंब को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि तालमेल का लाभ समय पर जरूरतमंदों तक पहुंचे, संबंधित मंत्रालयों के साथ त्वरित परामर्श प्रक्रिया शुरू करने की अपनी सिफारिश को दोहराती है।

अध्याय-दो

सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश (क्रम संख्या 1)

समिति नोट करती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) पूर्व में लागू इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई) में निहित त्रुटियों और विसंगतियों जैसा कि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 2014 में उल्लेख किया गया है, को दूर करके इसका पुनर्गठन करके तैयार की गई है और इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण घरों वाले परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त पक्के घर दे कर वर्ष 2022 तक ' सभी के लिए घर ' उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ 01 अप्रैल, 2016 को शुरु की गई थी । प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आर.एम.टी), आवास डिजायन वर्गीकरण (टायपोलोजी), आवास गुणवत्ता समीक्षा एप्प आदि के माध्यम से आवास निर्माण की गुणवत्ता पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है । योजना में जो एक और सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है वह है मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली हेतु सौभाग्य, एल.पी.जी. कनेक्शन हेतु प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई), शौचालयों के निर्माण हेतु स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) / महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल स्थापित करना । इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय संस्थाओं से 70,000 रुपये का ऋण प्रदान करने का प्रावधान स्वागत योग्य कदम है यदि लाभार्थियों के मध्य इसे समर्थन प्राप्त हो । समिति महसूस करती है कि गरीब ग्रामीण आबादी की सामाजिक और वित्तीय स्थितियों में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से शुरु किए गए प्रयास सही दिशा में उठाए गए कदम हैं और उन पर निष्ठापूर्वक और आगे काम किए जाने की आवश्यकता है । समिति 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17), जनगणना 2011 और एसईसीसी 2011 हेतु ग्रामीण आवास संबंधी कार्य-समूह के प्रतिवेदनों के आधार पर आवासों की कमी का आकलन करवाने हेतु किए गए प्रयासों की भी सराहना करती है।

सरकार का उत्तर

2.95 करोड़ मकानों के समग्र लक्ष्य को पूरा करने के संबंध में 26 अगस्त, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में व्यय वित्त समिति की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्च, 2021 के बाद मार्च, 2024 तक पीएमएवाई-जी को जारी रखने के विषय में मंत्रिमंडल हेतु नोट के प्रारूप को अंतिम रूप देने की कार्रवाई कर रहा है। मंत्रालय ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना (आरएचआईएसएस) में संशोधन के लिए व्यय वित्त समिति हेतु नोट को अंतिम रूप देने की कार्रवाई भी कर रहा है।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2021-आरएच - लेखा दिनांक: 06/01/2022)

सिफारिश (क्रम संख्या 3)

समिति नोट करती है कि ग्राम सभाओं द्वारा अस्वीकृत कुल 4.04 करोड़ परिवारों में से 1.36 करोड़ परिवारों को अस्वीकृत किए जाने के कारण प्रव्रजन और मृत्यु बताये गये हैं । समिति का यह मत है कि आजीविका की खोज में शहरी क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर प्रवास करने को प्रव्रजन नहीं माना जा सकता और प्रव्रजन तथा मौतों के आधार पर अस्वीकृतियों का समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि जो रोजगार/आजीविका की तलाश में अस्थायी तौर पर शहरों में बस जाते हैं वे अपने गांव वापस आते ही हैं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थी की मौत होने की स्थिति में लाभार्थियों की सूची से उनका नाम निरस्त किए जाने के बजाए स्वामित्व के हस्तांतरण पर विचार किया जाए । एसईसीसी-2011 आंकड़ों पर स्पष्टीकरण देते हुए सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि पहचान किए गए कुल 4.3 करोड़ व्यक्तियों में से ग्राम सभाओं के पूर्ण सत्यापन के बाद घर के लिए केवल 2.95 करोड़ व्यक्तियों को ही पात्र समझा गया जो संख्या बाद में घटकर 2.32 करोड़ व्यक्तियों तक आ पहुंची जिसके कारण ग्राम सभाओं की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग गया है । समिति महसूस करती है कि यदि अस्वीकृति के ऐसे निर्णय निष्पक्ष नहीं हों तो योजना का समुचित रूप से कार्यान्वयन कठिन हो जाता है और इसलिए वर्ष 2022 तक सभी के लिए पक्का घर उपलब्ध कराने की योजना खटाई में पड़ सकती है । अत: समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय

स्वतंत्र एजेंसियों से प्रति-परीक्षा करा के विसंगतियों को दूर करने हेतु तत्काल एक कवायद करवाए और जवाबदेही निर्धारित करके लाभार्थी को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने में प्रखण्ड विकास अधिकारियों की भूमिका को शामिल करे ।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अनिच्छुक लाभार्थियों के मामलों में कार्रवाई से संबंधित एसओपी (दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 के पत्र द्वारा) और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अस्थायी और स्थायी प्रवास के मामलों में कार्रवाई से संबंधित एसओपी (दिनांक 25 फरवरी, 2020 के पत्र द्वारा) पहले ही जारी कर दी है।

अस्थायी प्रवास के मामलों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उन ग्राम पंचायतों की पहचान करने को कहा जाता है जिनमें ऐसे मामले मौजूद हैं और तैयार की गई पीडब्ल्यूएल के पुन: सत्यापन के लिए संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा का आयोजन कराने को कहा जाता है। इस बैठक के दौरान ग्राम सभा ऐसे मामलों की समीक्षा कर सकती है और ऐसे परिवारों की प्राथमिकता का पुन: निर्धारण करते हुए उन्हें पीडब्ल्यूएल के अंत में रख सकती है, ताकि ऐसे लाभार्थियों को मकानों का आवंटन बाद में किया जा सके। पीडब्ल्यूएल में प्राथमिकता के पुन: निर्धारण के संबंध में ग्राम सभा का संकल्प आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जाता है और पीडब्ल्यूएल की प्राथमिकता तदनुसार बदल जाती है।

मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों की मृत्यु के मामलों में कार्रवाई से संबंधित एसओपी (दिनांक 10 फरवरी, 2020 के पत्र द्वारा) पहले ही जारी कर दी है, जिसमें अवयस्क परिजनों; परिजनों के नाम लाभार्थियों के एसईसीसी ब्यौरे इत्यादि में न दर्शाए जाने से संबंधित सभी मामले शामिल किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस एसओपी का अनुपालन करने को कहा गया है ताकि परिवार के मुखिया के आश्रित/परिजन पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता प्राप्त करके मकान का निर्माण कर पाएं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त मामलों में बीडीओ की भूमिका भी परिभाषित की गई है और वैध कारणों से परिवारों के नाम हटाने की प्रक्रिया बीडीओ/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा

पदनामित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के स्तर पर शुरू की जाती है तथा जिला मजिस्ट्रेट/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पदनामित जिला स्तरीय अधिकारियों के स्तर पर अनुमोदित की जाती है।

आवास+ सर्वेक्षण डाटा के विषय में, पात्र परिवारों का विश्लेषण और चयन करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। तत्पश्चात, इस समिति की सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया था कि वे आवास+ परिवारों और उनके 15 वर्ष से अधिक आयु के परिजनों का आधार ब्यौरा अपलोड करें। इसके अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया था कि वे आवास+ डाटाबेस पर अपलोड किए गए परिवारों के ब्यौरे का वास्तविक सत्यापन करके आवास+ डाटाबेस में गलती से शामिल किए गए अपात्र परिवारों के नाम उस डाटाबेस से हटाने के निर्देश क्षेत्रीय कर्मियों को दें। पूर्व परिभाषित पैरा मीटरों की जानकारी दी गई, ताकि ऐसे अपात्र परिवारों के नाम हटाते समय उन्हें ध्यान में रखा जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आवास+ सर्वेक्षण के अंतर्गत 3.57 करोड़ परिवारों का ब्यौरा दर्ज किया है और दिनांक 20.12.2021 की स्थिति के अनुसार 2.75 करोड़ परिवारों को पात्र पाए जाने की रिपोर्ट दी है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए डैस्क सत्यापन, वास्तविक सत्यापन, ग्राम सभा द्वारा पुनरीक्षा का अनुपालन किया जा रहा है। इन सबके बावजूद किसी अनियमितता के मामले में पीडित पक्ष अपना आवेदन सीधे सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता/सकती है। सक्षम प्राधिकारी समयबद्ध तरीके से शिकायतों की जांच करके रिपोर्ट तैयार करता/करती है और उसे अपीलीय समिति को प्रस्तुत करता/करती है, जो मामले की समीक्षा करके आवश्यकता कार्रवाई करती है।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2021-आरएच-लेखा दिनांक: 06/01/2022)

सिफारिश (क्रम संख्या 4)

समिति को जांच के दौरान अधूरे और त्रुटिपूर्ण आंकड़े जैसे कि परिवार के सदस्यों का ब्योरा गायब होने; वास्तविक लाभार्थियों के नाम ना होने, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के

लाभार्थियों की सूची में अपात्र व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाने का पता चला। अत: समिति इसको बड़ी गंभीरता से लेती है और सिफारिश करती है कि मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सूची में लाभार्थियों के नामों में त्रुटियों को ठीक करने के लिए तत्काल कदम उठाए। मंत्रालय शीघ्रातिशीघ्र सूची में त्रुटियों को ठीक करने के लिए राज्यों को भी निर्देश दे ताकि लाभ वास्तविक गरीबों और योजना के अंतर्गत लक्षित जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंच सके।

सरकार का उत्तर

ब्लॉक/जिला स्तर पर एसईसीसी 2011 डाटाबेस से आवाससॉफ्ट के अंतर्गत लाभार्थियों के 'छूटे हुए ब्यौरों' को ठीक करने का प्रावधान पहले से मौजूद है।

इसके अतिरिक्त ग्राम सभा या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पंचायत अधिनियम में मान्यता प्राप्त स्थानीय स्व-शासन की सबसे निचली इकाई उन्हें प्राप्त हुई श्रेणीवार प्रणाली सृजित प्राथमिकता सूचियों में दर्ज तथ्यों का सत्यापन करेगी, जिसके आधार पर परिवार को पात्र माना जाएगा।

सत्यापन के बाद इस सूची का व्यापक प्रचार किया जाता है और इसे आवाससॉफ्ट में दर्ज किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर या उनके नामिति की अध्यक्षता में जिला स्तर पर तीन सदस्यों की अपीलीय समिति गठित की जाती है। यह अपीलीय समिति नाम हटाए जाने या रैंक में बदलाव किए जाने से संबंधित शिकायतों पर विचार करती है और उन शकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटान करती है। अनियमितताओं के मामले में संबंधित राज्य द्वारा चूक करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2021-आरएच-लेखा दिनांक: 06/01/2022)

सिफारिश (क्रम संख्या 6)

समिति ने जांच के दौरान वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में आ रही समस्याओं को रेखांकित किया और पाया कि पीएमएवाई जी के अंतर्गत अधिकांश लाभार्थी घरों के निर्माण के लिए रु 70000 की ऋण सुविधा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे समाज के आर्थिक रूप से

कमजोर वर्ग से संबंध रखते हैं जो कि न तो अधिक ब्याज दे सकते हैं और न ही उनके पास बंधक रखने अथवा प्रतिभूति के लिए कोई सामान/ संपत्ति होती है । मंत्रालय ने इस तथ्य की ओर भी इंगित किया कि उच्च प्रशासनिक लागत, ब्याज दर और सामान गिरवी रखने इत्यादि के कारण वित्तीय संस्थानों से रु 70000 की ऋण सहायता प्राप्त करने वाले कुछ ही लोग हैं । उन्होंने यह भी बताया कि वे वर्तमान में इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के सहयोग से गिरवी रखने संबंधी न्यूनतम आवश्यकताओं और कम ब्याज दरों वाली ऋण योजना तैयार करने पर कार्य कर रहे हैं । अतः, समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह अपने प्रयासों में तेजी लाए और न्यूनतम सामान गिरवी रखने, कम प्रशासनिक लागत तथा कम ब्याज दरों वाली ऋण योजना तैयार करे जिसे स्थानीय भाषाओं में पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के बीच व्यापक रूप से परिचालित किया जाए ।

सरकार का उत्तर

पीएमएवाई-जी के तहत ऋण उत्पाद तैयार करने की रूपरेखा पर विचार-विमर्श करने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के प्रतिनिधियों के साथ उप-महानिदेशक (ग्रामीण आवास) की अध्यक्षता में दिनांक 28 जुलाई, 2021 को बैठक आयोजित की गई थी। यह महसूस किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम दिशानिर्देशो को ध्यान में रखते हुए इन उत्पादों का विश्लेषण किए जाने और ऐसे लाभार्थी जिनके लिए विशेष रूप से महिला के लिए अथवा पति और पत्नी के लिए संयुक्त रूप से आवास स्वीकृत किए गए हैं ऐसे लाभार्थियों को ऋण उत्पादों की सुविधा प्रदान करने की संभावनाएं तलाश करने की आवश्यकता है। तदनुसार, आईबीए के वरिष्ठ सलाहकार से अनुरोध किया गया था कि वे इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए सदस्य बैंकों/पीएलआई के परामर्श से ऋण उत्पादों को फिर से तैयार करके इस मंत्रालय को प्रस्तुत करें।

'ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋणों के प्रवाह में वृद्धि करने' के संबंध में दिनांक 17.11.2021 को आयोजित बैठक में सचिव, ग्रामीण विकास द्वारा इस मामले को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के समक्ष भी उठाया गया था।

ग्रामीण विकास मंत्रालय इस मामले का शीघ्र समाधान करने के लिए वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग और भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के साथ दिनांक 23.12.2021 को एक और बैठक आयोजित करेगा।

(का. ज्ञा. सं. एच-11013/3/2021-आरएच-लेखा दिनांक: 06/01/2022)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा 14 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 7)

समिति ने जांच के दौरान इस मुद्दे को उठाया कि अजा/अजजा संबंधी लक्ष्यों के पूरा होने की स्थिति में लक्ष्यों को अन्य समुदायों की ओर स्थानांतरित किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाए । ग्रामीण विकास सचिव ने साक्ष्य के दौरान यह बताते हुए कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार की सहमति से अजा/अजजा संबंधी लक्ष्यों के पूरा होने पर लक्ष्यों का अंतरण करने के लिए सक्षम हैं,यह स्वीकार किया कि पीएमएवाई-जी की धीमी गति का कारण राज्य सरकारों द्वारा लक्ष्यों का अंतरण किए जाने के संबंध में समय पर निर्णय न लिया जाना है जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय को तत्संबंधी अनुदेश जारी करने पड़ते हैं । अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में भ्रम की स्थिति को तत्काल दूर किया जाए और राज्यों को अजा/अजजा संबंधी लक्ष्यों के पूरा होने की स्थिति में लक्ष्यों का अंतरण किए जाने के संबंध में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए नए सिरे से अनुदेश जारी किए जाएं और साथ ही साथ राज्यों द्वारा अपनायी जाने वाली मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की जाए ।

सरकार का उत्तर

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के पैरा सं. 3.4.1 में यह प्रावधान है कि पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र परिवारों को शामिल कर लिए जाने की स्थिति में राज्य को अन्य श्रेणी के परिवारों के लिए लक्ष्यों को

आवंटित/अंतरित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस मंत्रालय ने सभी पीएमएवाई-जी के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी मौजूदा स्थायी प्रतीक्षा सूची से आवंटन पूरा करने के लिए पीएमएवाई-जी की मौजूदा स्थायी प्रतीक्षा सूची से लक्ष्यों का आवंटन कर दिया है। यदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की स्थायी प्रतीक्षा सूची से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान कर दिए जाते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य 'अन्य' श्रेणियों को आवंटित कर दिए जाएंगे।

विभिन्न बैठकों/परामर्शों के दौरान लक्ष्यों को अंतरित करने की सूचना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दे दी गई है तथा सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इससे अवगत हैं। यद्यपि लक्ष्यों को अंतरित करना राज्यों का आंतरिक प्रशासनिक मामला है तथापि, श्रेणियों के भीतर लक्ष्यों को अंतरित करने के संबंध में हम राज्य सरकारों को जानकारी प्रदान करेंगे। इस संबंध में नई मानक प्रचालन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।

यह मंत्रालय वर्तमान में अंतिम आवास+ सूची से लक्ष्यों का आवंटन कर रहा है जिसमें विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार श्रेणीवार लक्ष्यों सहित ग्राम पंचायत स्तर तक लक्ष्यों का आवंटन मंत्रालय के स्तर से (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत आवंटन सुनिश्चित करते हुए) किया जा रहा है।

(का. ज्ञा. सं. एच-11013/3/2021-आरएच-लेखा दिनांक: 06/01/2022)

सिफारिश (क्रम संख्या 8)

समिति, इस बात के दृष्टिगत कि मकान का स्वामित्व सामाजिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक होता है , सरकार की इस पहल की सराहना करती है कि मकान का आबंटन विधवा / अविवाहित / अलग हो चुके व्यक्ति के सिवाय पति – पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए और राज्यों के पास केवल महिला के नाम पर भी इसका आबंटन करने का विकल्प है । तथापि फील्ड दौरों के दौरान समिति ने पाया कि स्वामित्व के अंतरण में विलंब से योजना का कार्यान्वयन प्रभावित होता है । अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को राज्य –कार्यकर्ताओं के साथ होने वाली योजना के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा संबंधी

बैठकों की कार्यसूची में इस पहलू को शामिल करना चाहिए और इस बात को दोहराती है कि पीएमएवाई-जी लाभार्थी की मृत्यु होने पर स्वामित्व का तत्काल अंतरण किया जाए । समिति यह भी चाहती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को इस संबंध में अनुदेश जारी किए जाएं कि स्वामित्व संबंधी सभी मामलों का समाधान किया जाए ताकि योजना का कार्यान्वयन प्रभावित न हो और पीएमएवाई-जी द्वारा निर्मित मकान के स्वामी की मृत्यु होने पर गरीब ग्रामीण लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने लाभार्थियों की मृत्यु के मामलों के संबंध में कार्रवाई करते हुए पीएमएवाई-जी के तहत मानक प्रचालन प्रक्रिया (दिनांक 10 फरवरी, 2020 के पत्र के माध्यम से) पहले ही जारी कर दी है जिसमें परिवार के अवयस्क सदस्यों; लाभार्थियों के एसईसीसी के ब्यौरे में शामिल न किए गए परिवार के सदस्यों आदि से संबंधित सभी मामले शामिल किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे इसका पालन करें, ताकि परिवार के मुखिया के आश्रितों/परिवार के सदस्यों को सहायता मिल सके और वे पीएमएवाई-जी के तहत आवास का निर्माण कर सके।

(का. ज्ञा. सं. एच-11013/3/2021-आरएच - लेखा दिनांक: 06/01/2022)

सिफारिश (क्रम संख्या 10)

समिति यह नोट करती है कि 'आवास एप' अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्माण के विभिन्न चरणों में मकान की जियोटेग्ड, टाइम स्टैंप्ड फोटोग्राफ अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है जिससे सत्यापन में समयान्तर (टाईम लैग) कम होता है । यह एप लाभार्थियों के चयन से लेकर लाभार्थियों को निधियों के वितरण, निर्माण में प्रगति का सत्यापन, निधियाँ जारी करना इत्यादि तक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से योजना के शुरू से अंत तक कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग में भी सहायक है । तथापि समिति यह पाती है कि ग्रामीण जनसंख्या द्वारा एप के इष्टतम उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को नियमित अंतराल पर पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचालन के बारे में शिक्षित किया जाए और उस पर प्रोद्भूत लाभ प्राप्त करने में ग्रामीण लोगों की सहायता करने हेतु स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जाए ।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने समय-समय पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है और आवास ऐप और आवास प्लस ऐप तथा वेबसाइट- आवाससॉफ्ट पर स्वानुभवजन्य प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। मंत्रालय ने https://rhreporting.nic.in/netiay/Newreport.aspx पर हेड-दस्तावेज के तहत पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर आवाससॉफ्ट एवं आवास ऐप के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका भी अपलोड की थी।

पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर आवास ऐप के विभिन्न मॉड्यूल के प्रयोग का वर्णन करने वाले वीडियो मैनुअल भी उपलब्ध हैं जिन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कर्मियों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस विषय में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों/संगोष्ठियों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचना दी गई है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सूचना एवं ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए ट्वीटर, कू, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों का भी उपयोग किया जा रहा है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे आवासऐप तथा आवाससॉफ्ट के विभिन्न मॉड्यूलों के विषय में ब्लॉक स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर क्षेत्र कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करें। मंत्रालय ने 5 मॉड्यूल भी तैयार किए हैं और उन्हें स्टेकहोल्डरों के उपयोग हेतु आईगोट प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया है।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2021-आरएच - लेखा दिनांक: 06/01/2022)

सिफारिश (क्रम संख्या 13)

समिति ने योजना के मूल्यांकन के दौरान पाया कि प्रत्येक स्वीकृत पीएमएवाई-जी आवास के लिए नरेगा कार्य के सृजन हेतु नरेगा सॉफ्ट के साथ रियल टाइम वेब लिंक के

बावजूद मनरेगा के साथ तालमेल के अंतर्गत अनिवार्य मजदूरी घटक प्रावधान और 90 कार्य दिवसों (पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्र और एकीकृत कार्रवाई योजना (आईएपी) जिलों में 95 कार्य दिवस) के लिए अकुशल श्रम के लिए वर्तमान दरों पर भुगतान का ईमानदारी से पालन नहीं किया जा रहा है । यह वित्त वर्ष 2016-17 के आरंभ से पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अकुशल मजदूरी प्राप्त करने वाले पीएमएवाई-जी परिवारों के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार ब्यौरे से स्पष्ट है । यद्यपि कुल स्वीकृत आवासों के लिए 94.86 प्रतिशत कार्य सृजित किया गया परंतु मजदूरी हेतु सृजित कार्य दिवसों की संख्या केवल 69.41 प्रतिशत है, जो स्पष्टतः 30% से अधिक की कमी को दर्शाता है । 01 अप्रैल 2020 से मजदूरी संशोधन के पश्चात सृजित कार्यों की संख्या और सृजित कार्य दिवसों की संख्या में कमी की भरपाई के लिए, आवासों के निर्माण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में रु20 की वृद्धि पर्याप्त नहीं है । अतः समिति यह सिफारिश करती है कि चूंकि पीएमएवाई-जी में क्षेत्र के अनुसार अनिवार्यतः 90/95 कार्य दिवसों का प्रावधान है, इसलिए प्रत्येक स्वीकृत आवास के लिए समान संख्या में कार्य दिवस सृजित करना अनिवार्य किया जाना चाहिए और लाभार्थियों को इस बात की जानकारी देकर कि मनरेगा कार्य करने हेतु अनिच्छा व्यक्त करने पर संबंधित को मनरेगा की लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है और भविष्य में मनरेगा के अंतर्गत कार्य / भुगतान देने से मना किया जा सकता है, इस प्रावधान का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए । समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि राज्यों से निरंतर आग्रह करने के माध्यम से आवास एप पर अद्यतन सूचना की प्रभावी निगरानी हो ताकि प्रावधान का ईमानदारी से पालन हो सके और यदि कोई कमी हो तो उसे दूर किया जा सके । साथ ही, पीएमएवाई-जी इकाइयों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान भी शामिल किए जाएं ।

सरकार का उत्तर

पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को श्रमदिवस प्रदान करने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के संबंध में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोधों के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण रोजगार प्रभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस संबंध में दिनांक 16 सितंबर,

2021 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अ.शा. पत्र संख्या एम-13011/01/2016 आरएच-पार्ट (3) के माध्यम से सूचित किया गया है कि :

i. मनरेगा के अंतर्गत मस्टर रोल का निर्माण पीएमएवाई-जी के तहत निधियों की किश्तों को जारी करना एक दूसरे से अलग है।

ii. जिन मकानों को पीएमएवाई-जी के तहत पहले ही पूरा कर लिया गया है, उनके लिए मस्टर रोल नहीं बनाए जाएंगे।

iii. मनरेगा के तहत पीएमएवाई-जी के लिए 90/95 श्रमदिवसों के लिए मस्टर रोल दो चरणों में तैयार किया जाएगा, जो निम्नानुसार है -

क). पहले चरण और दूसरे चरण के बीच 90/95 श्रमदिवसों का निष्पादन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विशिष्ट शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

ख). राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निर्णय के अनुसार मंजूरी की तारीख और प्लिंथ/विंडोसिल/लिंटेल के बीच किसी भी निर्दिष्ट दिनों के लिए प्रथम चरण मस्टर रोल सृजित किया जाएगा।

ग). द्वितीय चरण मस्टर रोल प्लिंथ/ विंडोसिल/लिंटेल की अवधि के बीच मकानों के पूरा होने के समय तक किसी भी निर्दिष्ट दिनों के लिए सृजित किया जाएगा।

तद्नुसार मस्टर रोल के निर्माण में किसी भी कठिनाई से बचने के लिए पीएमएवाई-जी और मनरेगा के एमआईएस में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

(का.ज्ञा.सं. एच-11013/3/2021-ग्रामीण आवास- लेखा दिनांक : 06/01/2022)

सिफारिश (क्रम संख्या 14)

समिति, पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को अन्य योजनाओं अर्थात मुफ़्त एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएयूवाई), मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के साथ तालमेल के माध्यम से लाभ प्रदान करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की प्रशंसा करती है । नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा

सोलर लालटेन, सोलर होम लाइटिंग प्रणाली, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली का प्रावधान और राष्ट्रीय बायोमास कुकस्टोव कार्यक्रम (एनबीसीपी) और बायो गैस योजना के अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के साथ तालमेल से स्वच्छ पेयजल योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं । तथापि समिति ने यह देखकर असंतोष व्यक्त किया कि 31.08.2020 की स्थिति के अनुसार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पूर्ण हुए 1,13,79,121 आवासों में से लिन्टल स्तर के ऊपर के 1,10,68,379 आवासों में से केवल 32,79,914 आवासों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया । पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की इतनी कम संख्या को एलपीजी कनेक्शन दिए जाने से यह सिद्ध होता है कि पीएमएवाई-जी के साथ तालमेल से पीएमयूवाई के अंतर्गत सरकार के विज़न का ठीक तरीके से पालन नहीं हो रहा है । इसके अतिरिक्त सौभाग्य के साथ तालमेल से पीएमएवाई-जी इकाइयों को बिजली उपलब्ध कराने के आंकड़े मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं जिसका कारण यह बताया गया कि आवास सॉफ्ट को अभी तक इस योजना के साथ एकीकृत नहीं किया गया है । स्वच्छ पेयजल, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और निर्माण सामग्री के उत्पादन की उपलब्धता के लिए अन्य योजनाओं के साथ तालमेल करने हेतु ऐसे ही एकीकरण की आवश्यकता है । समिति यह नोट करके अप्रसन्न है कि आज तक आवास एप पर एकीकरण न होने के कारण रियल टाइम डाटा के अभाव में पीएमएवाई–जी का अन्य योजनाओं के साथ तालमेल किया गया । उपर्युक्त निष्कर्षों के मद्देनजर समिति, मंत्रालय की ओर से गंभीर चूक को देखते हुए विभिन्न योजनाओं के तालमेल में कमियों और खामियों को दूर करने के लिए अपनी मशीनरी को दुरुस्त करने के लिए निदेश देती है ताकि पीएमएवाई–जी लाभार्थियों को लाभ मिल सके और साथ ही संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय करके आवास एप पर सभी डाटा को एकीकृत करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाए।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने बिजली कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, पेयजल, शौचालय निर्माण आदि लाभ प्रदान करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ तालमेल और समन्वय के स्तर के विश्लेषण पर एक समिति का गठन किया है। मंत्रालय द्वारा तालमेल के प्रभाव का आकलन करने के लिए एनआईआरडी एंड पीआर के माध्यम से अध्ययन की योजना पहले से ही की गई है। मंत्रालय उन योजनाओं के एमआईएस के बीच डेटा हस्तांतरण के लिए सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ परामर्श कर रहा है जिनके साथ पीएमएवाई-जी का तालमेल किया गया है जिसमें डीडब्ल्यूएस विभाग शामिल है ताकि पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को प्रदान किए गए तालमेल लाभ आवाससॉफ्ट

एमआईएस पर उपलब्ध हों। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तालमेल डाटा के समेकन के लिए संबंधित विभागों/मंत्रालयों के साथ पहले ही बैठकें बुलाई हैं। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पहले ही पर्याप्त प्रयास किए जा चुके हैं।

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को 14 जून 2021 के ग्रा.वि. सचिव के अ.शा. पत्र के माध्यम से उनकी योजना "पीएमयूवाई" को 31 मार्च 2022 से आगे जारी रखने का अनुरोध किया था, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के पीएमएवाई-जी के साथ तालमेल में और उक्त दोनों योजनाओं के एमआईएस को एकीकृत करने के लिए था ताकि तालमेल प्रगति की जानकारी वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध हो सके। तदनुसार, सचिव, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने 29 जून 2021 के अ.शा. पत्र के माध्यम से उत्तर दिया कि बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार, पीएमयूवाई के तहत अतिरिक्त 01 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं, जिसके लिए कार्यविधि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को परिचालित की गई हैं। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी और पीएमयूवाई के एमआईएस के समेकन के लिए एनआईसी (ग्रामीण विकास विभाग) को ओएमसी पीएमआईएस के साथ प्रासंगिक विवरण साझा करने का भी निर्देश दिया गया था, ताकि एसईसीसी डेटा के अनुसार लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी के एएचएल टीआईएन के एवज में प्रदान किए गए एलपीजी कनेक्शन के प्रावधान पर ओएमसी द्वारा पुष्टि भेजी जा सके। अधिक जानकारी के लिए पैरा संख्या 2.14 में दिए गए उत्तर को देखा जा सकता है।

(का.ज्ञा. सं. एच-11013/3/2021-ग्रामीण आवास- लेखा दिनांक: 06/01/2022)

सिफारिश (क्र. सं. 15)

समिति नोट करती है कि चूंकि पीएमएवाई-जी के तहत आवास निर्माण की गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि निर्माण प्रशिक्षित राजमिस्त्री द्वारा किया जाए । इसलिए, आजीविका के अवसर पैदा करने के साथ-साथ प्रशिक्षित राजमिस्त्री के द्वारा घरों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण राजमिस्त्री के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण शुरू किया गया है । समिति को जांच के दौरान यह जान कर निराशा हुई कि कार्य स्थल पर दिए जा रहे ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) में एक बड़ी कमी सामने आई है, जिसमें प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत 1,49,842 राजमिस्त्रियों में से केवल 76,193 राजमिस्त्री प्रशिक्षित किए गए हैं, जिससे कुशल राजमिस्त्रियों की मांग और आपूर्ति में अंतर आया है । अतः ,

समिति ने पीएमएवाई-जी के तहत बनाए जाने वाले 2.32 करोड़ मकानों के दृष्टिगत प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या में कमी और ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) संबंधी वास्तविक आंकड़ों को आवास ऐप पर एकीकृत ना किए जाने को गंभीरता से लेती है । अतः समिति का सुझाव है कि मंत्रालय पीएमएवाई-जी की व्यवहार्यता के लिए आरएमटी के तहत अधिक से अधिक व्यक्तियों को पंजीकृत करने और प्रशिक्षित करने का कार्य करे तथा आवास ऐप पर संबंधित कार्यक्रम को एकीकृत करने की प्रक्रिया को गति देने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाए|

सरकार का उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल राजमिस्त्री की कम उपलब्धता के मुद्दे का समाधान करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम लागू करता है, ताकि पीएमएवाई-जी के तहत गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। दिनांक 26.10.2021 तक, आरएमटी के अंतर्गत 2,14,363 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है, जिनमें से 1,80,525 अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया गया है और 1,32,451 अभ्यर्थियों उत्तीर्ण और प्रमाणित किए गए हैं।

निर्माण क्षेत्र में आवश्यक अनुभव रखने वाले कामगारों को औपचारिक कैरियर प्रगति के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए पीएमएवाई-जी के आरएमटी कार्यक्रम के तहत पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) मोड में प्रशिक्षित किया जाता है।

इसके अलावा, स्किल इंडिया पोर्टल से आरएमटी डेटा के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। जहां तक प्रभाग (डीओआरडी) और एनएसडीसी की तकनीकी टीमों का संबंध है ये एकीकरण के लिए लगातार संपर्क में हैं।

(का.ज्ञा. सं. एच-11013/3/2021-ग्रामीण आवास- लेखा दिनांक : 06/01/2022)

सिफारिश (क्र.सं. 16)

प्रदान की गई सामग्री की जांच से पता चला है कि ' पहल '(पीएएचएएल) संकलन के बारे में लाभार्थी को जानकारी न होने के कारण टिकाऊ, आपदा-रोधी घर के निर्माण के लिए पीएमएवाई - जी का उद्देश्य निष्फल हो गया है । सामाजिक-आर्थिक स्थिति और पृष्ठभूमि को देखते हुए पीएमएवाई-जी की वेबसाइट, pmayg.nic.in पर जानकारी की उपलब्धता लाभार्थी की

जागरूकता सिद्ध करती है । इसके अलावा, समिति यह जानकर निराश है कि राज्यों को अनुरोध के बावजूद केवल त्रिपुरा, सिक्किम और महाराष्ट्र ने नमूना घरों का निर्माण किया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें इस विषय पर पर्याप्त रूप से राजी नहीं किया गया है । समिति यह भी जानकर आश्चर्यचकित है कि राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय भाषा में ' पहल ' (पीएएचएएल) से संबंधित आवश्यक हिस्से के सरल तरीके से विकसित करने की सलाह, योजना की भावना को पूरी तरह से कम कर देती है, हालांकि यह योजना राज्य स्तर पर लागू की जाती है , इसकी प्रभावशीलता और सफलता सहित निगरानी की जिम्मेदारी केंद्र का प्रमुख दायित्व है । अतः, समिति चाहती है कि मंत्रालय राज्यों को 'पहल' (पीएएचएएल) के सरल तरीके से निर्माण के लिए दिशा-निर्देश देकर गंभीर प्रयास करे और जागरुकता शिविरों की स्थापना, स्व-सहायता समूह (एसएचजी) और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को शामिल करने के अलावा स्थानीय भाषाओं, पम्फलेटों और साइनबोर्डों के माध्यम से लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करे ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने दिनांक 03 सितंबर, 2020 को डेमो हाउस के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि लाभार्थी अपनी स्थानीय सामग्री के आधार पर उपयुक्त डिजाइन का विकल्प चुन सकें और कम लागत पर मकान के निर्माण के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर सकें।

स्वीकृति के समय, लाभार्थियों को उनके निवास क्षेत्र के लिए उपयुक्त तकनीक का उपयोग करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मकान के डिजाइन के विकल्पों की एक पुस्तिका प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, अगले कलैण्डर वर्ष में वैकल्पिक निर्माण प्रौद्योगिकियों पर कार्यशाला और सर्वोत्तम प्रथाओं पर 05 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव है।

एमओआरडी ने आईआईटी-दिल्ली, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और सीएसआईआर-केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीबीआरआई) की सहायता से 18 राज्यों में स्थानीय भू-जलवायु और सांस्कृतिक संदर्भों के साथ आपदा-प्रतिरोधी विशेषताओं के लिए उपयुक्त हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी के विकास के लिए राज्य-विशिष्ट अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामस्वरूप एमओआरडी ने 'पहल (खंड-I और II)' नाम से क्षेत्र-विशिष्ट मकानों के डिजाइनों का एक संग्रह प्रकाशित किया, जिसमें देश के 15 राज्यों में 62 आवास क्षेत्रों के लिए मकानों के 108 डिजाइन शामिल हैं।

लाभार्थियों को स्थानीय भू-जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त आपदा प्रतिरोधी विशेषताओं को शामिल करते हुए स्थानीय भाषा में मकान डिजाइन की एक पुस्तिका के साथ मकान निर्माण में भी सहायता की जा रही है। पीएमएवाई-जी के तहत जागरूकता निर्माण में स्वसहायता समूहों को शामिल किया जा रहा है।

(का.ज्ञा. सं. एच-11013/3/2021-ग्रामीण आवास- लेखा दिनांक : 06/01/2022)

सिफारिश (क्र. सं. 17)

समिति द्वारा बजट अनुमानों (बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) और पीएमएवाई-जी के तहत किए गए वास्तविक व्यय संबंधी आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि इस योजना के लिए वित्त सकल बजटीय संसाधनों (जीबीएस) और अतिरिक्त बजट संसाधनों (ईबीआर) से प्राप्त होता है । अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए किए गए वास्तविक व्यय बजट अनुमान और संशोधित अनुमान से अधिक हैं । पीएमएवाईजी, के चरण- I के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21,975 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट संसाधन का अनुमोदन किया था जिसमें से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 18,008.23 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और वर्ष 2019-20 के चरण -II के लिए वित्त मंत्रालय ने 20,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट संसाधनों की मंजूरी दी थी जिसमें से 10,811.02 करोड़ रुपये पुनः नाबार्ड से प्राप्त हुए थे । चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 70 लाख घरों के निर्माण के लिए केन्द्र का हिस्सा 57,330 करोड़ रुपये है जिसमें से 19,500 करोड़ रुपये सकल बजटीय संसाधनों के रूप में प्रदान किए गए हैं और शेष राशि अतिरिक्त बजट संसाधनों के माध्यम से मिलना है । योजना के लिए धन की उपलब्धता के संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है जिससे कि कार्यक्रम के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है । मूल्यांकन से पता चलता है कि इस योजना में 2017-18 से तेजी आई है जिससे अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हुई और योजना के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता हेतु किए गए प्रयास 2022 तक 'सभी के लिए आवास' उपलब्ध कराने के लिए सरकार की सच्ची प्रतिबद्धता दर्शाते हैं ।

तथापि, समिति द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत जारी/रोके गए केन्द्र/राज्य के हिस्से के ब्यौरे की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने, निधियों का अल्प उपयोग किए जाने , पिछले वर्ष की दूसरी

किस्त जारी न किए जाने या राज्य सरकारों से प्रस्तावों का प्राप्त न होने तथा राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत लक्ष्य के अभ्यर्पण का अनुरोध किये जाने के कारण कुछ राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय हिस्सा जारी नहीं किया गया जो कि शीघ्र समाधान हेतु केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है । चालू योजना के प्रति मंत्रालय के ढुलमुल रवैये से प्रतीत होता है कि 2022 तक निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना बहुत मुश्किल है । इसलिए, समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि कार्यान्वयन और निगरानी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली को संशोधित करे, ताकि कमियों को तत्काल दूर किया जा सके जिससे कि समय से केंद्र/राज्यों का हिस्सा जारी किया जा सके और उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जा सके ताकि योजना को 2022 तक पूरा किया जा सके ।

सरकार का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पीएमएवाई-जी के तहत 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाना है। 28.10.2021 तक, पीएमएवाई-जी के तहत, 2.07 करोड़ मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई है, 1.97 करोड़ लाभार्थियों के लिए पहली किस्त रिलीज की गई है और 1.61 करोड़ मकानों का निर्माण पुरा किया जा चुका है। पीएमएवाई-जी की योजना की आवधिक समीक्षा के लिए मंत्रालय स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। राज्य के कोषागार से एसएनए, आवास+ रिमांड आदि में राज्य/संघ के अंश को रिलीज करने में स्वीकृति, पूर्णता, लंबित जैसे विभिन्न मानकों पर प्रगति की दैनिक निगरानी की जा रही है।

समयबद्ध तरीके से मकानों के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। इसे प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन में दक्षता के कारण मकानों के निर्माण की गति राज्य-दर-राज्य भिन्न होती है। इसके अलावा निधि रिलीज की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, पीएमएवाई-जी के तहत सहायता की पहली किस्त रिलीज करने से संबंधित पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के फ्रेमवर्क (एफएफआई) की धारा 10.4 को संशोधित किया गया है और 16 नवंबर 2021 के विस्तृत पत्र संख्या जे-11012/01/2019-आरएच द्वारा परिचालित किया गया

है। निधि रिलीज करने की संशोधित प्रणाली से राज्यों को समय पर पर्याप्त निधि मिलने में मदद मिलेगी।

वर्ष 2020-21 तक वित्तीय वर्ष-वार रिलीज ब्यौरा (बजट संसाधन और ईबीआर सहित) निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधन अनुमान**	**जीबीएस से रिलीज की गई राशि**	**ईबीआर प्राप्त/रिलीज की गई**
2016-17	15000.00	16078.60	16074.37	0.00
2017-18	23000.00	22832.31	22572.29	7329.43
2018-19	21000.00	19600.00	19307.95	10678.80
2019-20	19000.00	18455.20	18119.61	10811.02
2020-21	19500.00	19500.00	19269.14	19999.82

(का.ज्ञा. सं. एच-11013/3/2021-ग्रामीण आवास- लेखा दिनांक : 06/01/2022)

सिफारिश (क्रम संख्या. 18)

समिति की जांच के लिए प्रस्तुत आंकड़े दर्शाते हैं कि पीएमएवाई-जी चरण । (2016-2017 से 2018-2019) के 99,94,125 आवासों की लक्ष्य की तुलना में केवल, 89,73,139 इकाइयों (2 सितंबर 2020 तक) को पूरा किया गया था जो लक्ष्य से 10 प्रतिशत कम है । चरण- II (2019-20 से 2021-22), जिसे 2021-2022 तक पूरा किया जाना है, के लिए निर्धारित 1,21,49,942 आवासों के लक्ष्य की तुलना में 31.08.2020 तक केवल 24,05,982 इकाइयों को पूरा किया है । इसका निष्कर्ष है कि चरण- । और चरण- II के 2,21,44,067 आवासों के लक्ष्य की तुलना में 31 अगस्त 2020 तक केवल 1,13,79,121 (51%) आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत पूरा किया गया है । यह भी पाया गया कि अतिरिक्त प्रश्न सूची में दिए गए आंकड़ों को अलग-अलग तारीखों में एकत्र किया गया है जिससे की समिति वास्तविक समय के आंकड़ों के अभाव में आकलन करने में असमर्थ है । अत: समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विभिन्न कारणों से चरण-एक की लंबितता के अतिरिक्त कोविड महामारी के कारण चरण-दो के अंतर्गत शुरुआत से लेकर कार्य

पूर्ण होने तक की धीमी गति होने के कारण योजना की प्रगति बहुत अधिक प्रभावित हुई है । अत: समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय इस तरह से अपनी रणनीति को चाक चौबन्द करे कि कमियों और लक्ष्य में पिछड़ने की समस्या का समाधान हो और चरण-एक के लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी आए । साथ ही साथ जांच हेतु समिति को वास्तविक आंकड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अतिरिक्त चरण-दो में शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु समन्वित ढंग से तेजी लाई जाए ।

समिति यह भी नोट करती है कि प्रवसन और अनिच्छुक लाभार्थियों के कारण लक्ष्यों की लंबितता को रोकने के लिए मंत्रालय ने अनिच्छुक लाभार्थियों, मौत के मामलों और लाभार्थियों के प्रवसन के मामलों पर विचार करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं । मंत्रालय में ऐसे लाभार्थियों के राज्य-वार और श्रेणी-वार आंकड़े जिनके आधार पर मामले को खारिज किए जाने के माध्यम से समाधान,रिकवरी तंत्र आदि प्रस्तावित किया जा सकता है, संग्रहित करने के लिए उठाए गए कदमों के अतिरिक्त ऐसे कठिन मामलों के निस्तारण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के लिए कार्यान्वयन चरण-दो के लिए नीतिगत निर्णयों को शामिल करते हुए संशोधित रूपरेखा जारी करने की कवायद की जा रही है । समिति की गई पहल को सही दिशा में प्रगतिशील कदम मानती है और आशा करती है कि मंत्रालय बेहतर और सुचारु परिणामों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के कार्यान्वयन चरण-दो हेतु संशोधित रूपरेखा को शीघ्र जारी करने के कार्य को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त प्रवसन और अनिच्छुक लाभार्थियों के मामलों पर विचार करने की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए वांछित आंकड़ों के संग्रहण के काम में तेजी लाए ।

समिति ने किस्तों के लिए निर्धारित की जाने वाली धनराशि के प्रतिशत की जांच करते समय यह पाया कि किस्त के लिए धनराशि का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए राज्यों को कुछ छूट दी गई है और राज्यों द्वारा पहली किस्त के लिए औसतन लगभग 40 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है । बेहतर परिणामों के मुद्दे पर ओडिशा राज्य के मूल्यांकन का उदाहरण दिया गया जिसमें निर्माण प्रगति की निगरानी करने के लिए प्रत्येक 10 प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लाभार्थियों हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारी के रूप में एक स्थायी सरकारी अधिकारी की तैनाती करके समय पर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त किया गया है । डी.आई.एस.एच.ए (दिशा) बैठकों के आयोजन के अवधि -अंतराल के संबंध में यह उल्लेख किया

गया कि राज्यों से एक वर्ष में चार बैठकें सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है । समिति अपने जमीनी यथार्थ के अनुभव के आधार पर इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय पहले उस राज्य द्वारा निर्धारित किए गए किस्त के प्रतिशत की व्यवहार्यता के आधार पर योजना के अंतर्गत प्रगति के राज्य-वार परिणामों का आकलन किए जाने के आधार पर किसी लाभार्थी को दी जाने वाली किस्त के प्रतिशत के निर्धारण हेतु एक तंत्र स्थापित करे ओर इस विषय पर एक सामान्य दिशानिर्देश जारी करे । दूसरी बात यह है कि मंत्रालय बेहतर और समय पर परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के समक्ष ओडिशा मॉडल को अपनाने का प्रस्ताव रखे और निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से बेहतर निगरानी कराने हेतु एक वर्ष में होने वाली दिशा बैठकों की अनिवार्य संख्या को चार से बढ़ाकर बारह करने के लिए राज्य सरकारों को लिखे ।

आवास निर्माण के कार्य की गति में सुधार लाने के लिए ओडिसा राज्य की सरकार उन लाभार्थियों जो पहली किश्त जारी करने के 04 माह के अन्दर अपना घर बना लेते हैं, को 20,000 रुपये और उन लाभार्थियों जो पहली किश्त जारी करने के 06 माह के अन्दर अपना घर बनाने का कार्य पूरा कर लेते हैं, को 10000 रुपये का प्रोत्साहन दे रही है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान यही मॉडल साझा किया गया था ताकि आवास निर्माण की गति में तेजी लाने के लिए अन्य राज्य भी इसी तरह के मॉडल्स को अपना सकें । प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन का ढांचा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहभागिता से विकसित किया गया है । किश्तों को जारी करने के संबंध में दिए गए तौर तरीके राज्यों की तरफ से की गई सिफारिशों के अनुरूप हैं ।

सरकार का उत्तर

पीएमएवाई-जी के तहत, दिनांक 28.10.2021 तक, 2.07 करोड़ मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1.61 करोड़ मकानों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

मंत्रालय पहले ही उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतिम आवास+ सूचियों में से 51 लाख मकानों का लक्ष्य आवंटित कर चुका है, जिन्होंने एसईसीसी डेटा बेस से अपने मौजूदा पीडब्लूएल का प्रयोग कर लिया है। मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के तहत कच्चे मकानों की संशोधित परिभाषा के आधार पर पहचाने गए नए लाभार्थियों से असम राज्य के लिए 7 लाख मकानों और त्रिपुरा राज्य के लिए 1,59,913 मकानों का लक्ष्य आवंटित किया है।

आवास+ सर्वेक्षण डेटा के आवंटित लक्ष्य में से उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड और तमिलनाडु राज्यों में स्वीकृतियों की अधिकतम संख्या है। पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित संचयी लक्ष्य की तुलना में किए गए मकानों के निर्माण का अधिकतम प्रतिशत उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और सिक्किम राज्यों में है।

मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी (13 दिसंबर, 2019 के पत्र के माध्यम से) के तहत अनिच्छुक लाभार्थियों के मामलों के निपटान के लिए और अस्थायी और स्थायी प्रवास के मामलों के निपटान के लिए एसओपी जारी कर दी है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास पीएमएवाई-जी के तहत किश्तों की मात्रा तय करने की छूट है क्योंकि वे निर्माण के विभिन्न चरणों में लाभार्थियों द्वारा निधि/सहायता की आवश्यकता का आकलन करने की बेहतर स्थिति में होते हैं। यह बेहतर निगरानी के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पीएमएवाई-जी के तहत कम से कम 3 किस्तों के निर्धारण करने पर ही होगा।

इस मंत्रालय द्वारा पूर्ववर्ती सतर्कता और निगरानी समितियों के स्थान पर जून 2016 में संसद सदस्यों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिशा समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तालमेल को बढ़ावा देती हैं। दिशा समिति की बैठकें एक ऐसा मंच प्रदान करती हैं जहां विकास कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जा सके और बैठक में सांसदों और विधायकों और कार्यान्वयन विभाग के प्रतिनिधियों के बहुमूल्य विचार से आगे की कार्रवाई तय की जा सके।

i. दिशा समिति के दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि दिशा समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाए। पिछले चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के जिलों में आयोजित की गई बैठकों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	जिला स्तरीय दिशा बैठकों की संख्या
2016-17	853
2017-18	821

2018-19	683
2019-20	463
2020-21	693

ii. मंत्रालय के पास दिशा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को अपलोड करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट है। दिशा समिति में लिए गए निर्णय को ट्रैक करने और उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कार्यवृत्त अपलोड करना आवश्यक है। बैठक की कार्रवाई को समर्पित पोर्टल पर अपलोड करने के लिए जिलों को अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है।

iii. शीर्ष स्तर पर कार्यकलाप की आवश्यकता वाले तत्काल प्रकृति के मामले को हल करने के लिए राज्य स्तरीय दिशा समिति का गठन किया गया है। दिशा समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठकें कम से कम प्रत्येक छह महीनों में होनी चाहिए।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2021-आरएच- लेखा: दिनांक: 06/01/2022**)**

सिफारिश क्रम (संख्या . 19)

समिति यह पाती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत गुणवत्ता निगरानी और समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित किए गए मानदण्डों को तब तक साकार रूप नहीं दिया जा सकता जब तक कि जुड़ी हुई सभी योजनाओं के रियल टाईम कनवर्जेंस आंकड़ों को शामिल करने के लिए आवास सॉफ्ट प्लेटफॉर्म को अद्यतन किए जाने के माध्यम से योजना के सभी पहलुओं को प्राप्त करने के लिए सशक्त निगरानी तंत्र तैयार नहीं किया जाता । इसके अलावा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फॉइनेन्स एण्ड पॉलिसी (एन.आई.पी.एफ.पी) के अध्ययन निष्कर्षों से यथा उजागर जियो टैगिंग की विसंगतियों और संव्यवहार/सेवा लागत का लाभार्थी पर थोपा जाना जिनका समिति द्वारा फील्ड अनुभवों के आधार पर समर्थन किया गया है, को बेहतर परिणामों हेतु समुचित रूप से दूर किए जाने की आवश्यता है । साथ ही साथ भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने और अवास्तविक आंकड़ों को रोकने के

उद्देश्य से तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण किए जाने की प्रणाली भी शुरु की जाए । समिति महसूस करती है कि योजना की निगरानी और कार्यान्वयन में सफलता प्राप्त करने के लिए निगरानी और कार्यान्वयन एजेन्सी के सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए परस्पर अपने मध्य सर्वोत्तम समन्वय विकसित करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जिससे कि प्रभावकारी वांछित परिणाम प्राप्त हो सकें । अत: समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी रणनीति को पुन: परिभाषित करके अपने निगरानी तंत्र में और अधिक सुधार लाए ताकि सबसे निचले स्तर पर निर्बाध कार्यान्वयन हेतु यथार्थपरक और समुचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ आवास सॉफ्ट को समुचित रूप से क्रमोन्नत किया जा सके । समिति ने यह भी पाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत बने आवासों का निर्माण कार्य पूरा होने पर लाभार्थी उनमें एक या दो वर्ष रह कर योजना से बने घरों को बेच देते हैं । अत: समिति महसूस करती है कि मंत्रालय द्वारा यह पता लगाने के लिए एक 'ट्रैकिंग सिस्टम' विकसित किया जाए कि लाभार्थी उसी घर में रह रहे हैं या किसी और व्यक्ति ने उसे खरीद लिया है और उसका उपयोग कर रहा है । समिति यह इच्छा भी व्यक्त करती है कि इस तरह के कृत्य को हतोत्साहित करने के लिए समयबद्ध अवधारणा (घर में रहने के लिए वर्षों की न्यूनतम संख्या) के आधार पर कोई न कोई उपबंध किए जाने चाहिए क्योंकि इससे अंततोगत्वा वर्ष 2022 तक 'सब के लिए घर' के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों के लिए समुचित और पक्का घर बनाने का प्रयोजन निष्फल हो जाता है ।

समिति ने नियमित अंतराल पर दिशा बैठकों के माध्यम से कारगर निगरानी पर विचार करते हुए एक समुचित ओर प्रभावी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया । समिति का मत है कि जब तक दिशा बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श से उभर कर सामने आने वाले मुद्दों पर की गई कार्यवाही की निगरानी करने का कोई समुचित तंत्र विकसित नहीं किया जाता तब तक इस कवायद का कोई वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होगा । अत: समिति सिफारिश करती है कि दिशा की बैठक के कार्यवाही सारांशों को अपलोड करने के अलावा उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर कार्रवाई करने हेतु कोई समुचित तंत्र विकसित किया जाए और इसके अतिरिक्त इन बैठकों की आवृत्ति में भी बढ़ोतरी की जाए । समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि चूंकि बैठकें राज्य स्तर पर आयोजित की जाती हैं, इसलिए नियंत्रक अधिकारियों अर्थात जिलाधिकरियों/आयुक्तों/जिला कलक्टरों को आयेाजित की गई बैठकों की संख्या और उन के

संबंध में आवश्यक और उचित उपायों के माध्यम से की गई कार्रवाई के लिए जवाबदेह बनाया जाए ।

सरकार का उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके कार्यक्षेत्र में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किए जा रहे कार्यक्रमों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन पर जोर देता है। कार्यक्रमों में दक्षता और प्रभावशीलता लाने के लिए मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। राष्ट्रीय स्तर की निगरानी (एनएलएमएस) प्रणाली का उद्देश्य सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इन परिणामों की समीक्षा की जाती है और इन्हें राज्यों के साथ साझा किया जाता है ताकि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में सुधार पर चर्चा की जा सके और सुझाव दिए जा सकें।

पीएमएवाईजी डैशबोर्ड जो विकसित किया जा रहा पीएमएवाई-जी योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति को पूरा करने और विश्लेषणात्मक और रणनीतिक व्यापार सूचना जरूरतों को पूरा करने के लिए आद्योपंत अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। डैशबोर्ड कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम होगा जिसमें संपूर्ण भौतिक और वित्तीय प्रगति का एकल स्क्रीन दृश्य और ब्लॉक स्तर पर ड्रिल के लिए राज्य स्तर की रिपोर्ट, किस्तें जारी करने में अंतराल/देरी का विश्लेषण करना, मकान निर्माण की गति, आयुवार, श्रेणीवार डेटा विश्लेषण शामिल है ताकि विसंगतियों, अन्य अड़चनों का पता लगाया जा सके। इसके अलावा, डैशबोर्ड हितधारकों के साथ अधिक समन्वय से गतिशील और अनुकूलन योग्य डेटा विज़ुअलाइज़ेशन का उपयोग करते हुए स्वीकृति और पूर्ण करने की प्रगति के लिए ट्रेंड विश्लेषण को समझाने में सक्षम होगा।

राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता (एनएलएम) ग्रामीण विकास विभाग की पीएमएवाई-जी सहित सभी योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समय-समय पर दौरे करता है। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों की समीक्षा के लिए केंद्रीय दल तैनात किए गए।

दिशा (जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति) यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र है कि योजनाओं को कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जाए। दिशा समिति की बैठकें ऐसा मंच प्रदान करती हैं जिसमें जिले में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की जा सके और सांसदों सहित निर्वाचित प्रतिनिधि से बहुमूल्य जानकारी ली जा सके और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए रणनीति तैयार की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता माननीय संसद सदस्य करते हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पीएमएवाई-जी से संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों को संबोधित सचिव (आरडी) के 26 अक्तूबर, 2021 के अ.शा. पत्र द्वारा पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन और निगरानी में माननीय सांसदों की भूमिका को पुन दोहराया गया है।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2021-आरएच- लेखा: दिनांक: 06/01/2022)

अध्याय तीन

सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है।

शून्य

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2021-आरएच- लेखा: दिनांक: 06/01/2022)

अध्याय चार

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है

सिफारिश (क्रम सं. 2)

समिति का यह दावा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लक्ष्य एक सशक्त सुपुर्दगी और निगरानी तंत्र तथा स्थापित की गई उन्नत योजना शिल्प के माध्यम से ' वर्ष 2022 तक सभी के लिए घर ' के सपने को साकार करना है, लाभार्थी की पहचान करने, जटिल अपीलीय प्रक्रिया जो ग्रामीण गरीब की पहुंच से बाहर है, में विद्यमान चुनौतियों को देखते हुए व्यवहारिक नहीं लगता । लाभार्थियों की पहचान करने में निर्वाचित ग्राम पंचायत निकायों द्वारा पूर्वाग्रहग्रस्त और राजनीति से प्रेरित रवैया अपनाए जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता और इसके साथ ही शिकायत समाधान अपीलीय तंत्र भी आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित ग्रामीण आबादी की पहुंच से बाहर है, इसके परिणामस्वरूप शिकायत करने हेतु सहायता प्रदान करने के किसी सहायता तंत्र के अभाव में यह एक निरर्थक कवायद सिद्ध होती है। समिति का यह मत और अधिक पुष्ट हो जाता है जब साक्ष्य के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने यह बताया कि ''संस्थाओं के बिगड़ जाने पर उनको ठीक करना बहुत कठित होता है। चूंकि संसद सदस्य डी.आई.एस.एच.ए. (दिशा) बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए वे खामियां उजागर करें और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा'' । तथापि, समिति इस मत से पूरी तरह से सहमत नहीं है और महसूस करती है कि यदि लाभार्थियों के समुचित चयन की प्रारंभिक चिंता का निराकरण समुचित रूप से नहीं किया जाए तो गरीब ग्रामीणों की जीवन-दशा में सुधार लाने का सारा प्रयास ही निष्फल हो जाएगा । ऐसे परिदृश्य में जहां केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को जिला/पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किया जाता हो और उसकी केन्द्रीय स्तर पर निगरानी की जाती हो तो ग्राम सभा की भूमिका को घटाना और लाभार्थियों की सूची की पहचान/प्रमाणीकरण हेतु निजी संगठनों और गैर सरकारी निकायों को साथ जोड़ना और निष्पक्ष परिणामों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के ब्योरे और प्रगति के तथ्यात्मक सत्यापन हेतु प्रखण्ड विकास अधिकारियों को जवाबदेह बनाकर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। संसद सदस्य

निश्चय ही डी.आई.एस.एच.ए बैठकों में प्रगति की निगरानी करते हैं और विसंगतियों को उजागर करते हैं लेकिन मुद्दे केन्द्र और राज्य के अधिकारक्षेत्र के विवाद में गुम हो जाते हैं। अत: समिति चाहती है कि जवाबदेही निर्धारित करके प्रखण्ड विकास अधिकारियों को शामिल करने और गैर सरकारी संगठनों/निजी निकायों जो सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीब लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने में उनके लिए सहायता के स्तम्भ के रूप में कार्य कर सकें, को साथ जोड़कर सरपंच/ग्राम पंचायत की भूमिका को घटाकर तौर तरीकों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय हस्तक्षेप करे ताकि इस योजना के लक्षित लाभार्थियों की समुचित पहचान/प्रमाणीकरण किया जा सके और वर्तमान योजना का मन्तव्य साकार हो सके।

समिति ने यह भी पाया है कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत के समय इसमें यह अधिदेश दिया गया था कि वर्ष 2021-2022 तक चयनित लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त पक्का घर उपलब्ध कराने के सपने को साकार करने के लिए 2.95 करोड़ मकान बनाए जाएंगे लेकिन अब वर्ष 2022 तक 2.49 करोड़ लाभार्थियों को ही इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा । तथापि, समिति महसूस करती है कि ग्राम पंचायतों के पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया अपनाए जाने और एसईसीसी-2011 के आंकड़ों में विसंगतियों को देखते हुए एक नई रणनीति तैयार करके एक लचीला दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि कोई भी जरूरतमंद बेघर अथवा यथापरिभाषित कच्ची छत के घरों में रहने वाले परिवार योजना के लाभ से वंचित न रह जाए और तदनुसार सूची को अद्यतन किया जाए ।

सरकार का उत्तर

"पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन एसईसीसी-2011 में विनिर्दिष्ट आवास अभाव पैरा मीटरों और बहिर्वेशन मानदण्डों के आधार पर ग्राम सभा द्वारा विधिवत सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के समापन की शर्त के अधीन किया जाता है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता के पात्र जो परिवार एसईसीसी-2011 सर्वेक्षण के डाटा से तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल नहीं हुए उन अतिरिक्त पात्र परिवारों का चयन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'आवास+' सर्वेक्षण शुरू किया था। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत 3.57 करोड़ परिवारों को पंजीकृत किया गया। आवास+ सर्वेक्षण से

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का आवंटन विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जा रहा है। आवास+ पर 3.57 करोड़ पंजीकरणों में से वास्तव में अभावग्रस्त परिवारों का चयन करने की आवश्यकता थी, ताकि उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा सके और इसलिए विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने आवास+ डाटाबेस से 3.57 करोड़ पंजीकृत परिवारों में से 80.43 लाख अपात्र परिवारों के नाम हटा दिए हैं तथा 25 नवंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार 2.77 करोड़ पात्र परिवार शेष हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.95 करोड़ मकानों की उच्चतम सीमा के अधीन उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में अंतिम आवास+ सूची से अतिरिक्त पात्र परिवारों को शामिल करने और लक्ष्य आवंटित करने के संबंध में वित्त मंत्रालय के परामर्श से मंत्री, ग्रामीण विकास को प्राधिकृत किया था, जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सभी चयनित लाभार्थियों को लाभान्वित कर दिया है। ऐसे परिवारों की संख्या पीएमएवाई-जी के पहले चरण के संबंध में मंत्रिमंडल हेतु नोट में यथा अनुमोदित 2.95 करोड़ परिवारों और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापन के बाद स्थायी प्रतीक्षा सूची में बचे हुए लाभार्थियों की संख्या के अंतर के बराबर होगी। चूंकि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नामक कुछ राज्यों ने अब भी पीएमएवाई-जी की पीडब्ल्यूएल की एसईसीसी आधारित अपनी मौजूदा पीडब्ल्यूएल में शामिल सभी लाभार्थियों को लाभान्वित नहीं किया था, इसलिए मंत्रालय ने अब तक 50.99 लाख मकानों का लक्ष्य उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किया है, जो अपनी मौजूदा एसईसीसी पीडब्ल्यूएल में शामिल सभी लाभार्थियों को लाभान्वित कर चुके थे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर आवास+ सूची से लक्ष्यों का निर्धारण आवास+ संबंधी दो विशेषज्ञ समितियों द्वारा सुझाई गई कार्य प्रणाली के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय फिलहाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्राम पंचायत स्तर तक लक्ष्यों का आवंटन कर रहा है और उपर्युक्त लक्षित लाभार्थियों का चयन करके सूचियां आगे और कार्रवाई करने के लिए आवाससाफ्ट पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई हैं। इस प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ग्राम पंचायत-वार प्राथमिकता सूचियां तैयार कर पाते हैं।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सही लाभार्थी के चयन की प्रक्रिया पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और दायित्व के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(छ) के अनुरूप है।

एसईसीसी-2011 सर्वेक्षण डाटा/आवास+ सर्वेक्षण डाटा से पात्र लाभार्थियों के चयन की उपर्युक्त प्रक्रिया के अलावा, लाभार्थियों की पात्रता की पुष्टि मकान की स्वीकृति के समय भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा मकानों और प्रस्तावित निर्माण स्थलों के जियोटैग किए हुए फोटो आवास ऐप द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं।

कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान व्यवस्था भी स्थापित की जाती है। पदनामित शिकायत निपटान अधिकारी का संपर्क ब्यौरा तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्रत्येक पंचायत में दर्शाए जाते हैं। यदि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निपटान से संतुष्ट न हो तो वह आगे और उच्च स्तरों पर भी शिकायत दर्ज करा सकता/सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्राप्त शिकायतें निपटान के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेज दी जाती हैं। पदनामित अधिकारियों से कहा जाता है कि वे शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि में आवश्यक कार्रवाई करके की गई कार्रवाई रिपोर्ट ग्रामीण् विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करें तथा इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को भी दें। शिकायतों के निपटान के लिए मनरेगा के अंतर्गत लोकपाल की सेवाएं भी ली जा सकती हैं।

इसके अतिरिक्त शिकायतें सीपीजीआरएएमएस प्रणाली के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं, जिसमें शिकायतों के वर्गीकरण की अंतर्निहित व्यवस्था है। शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। गंभीर अनियमितताओं/आरोपों के मामलों में जांच करने के लिए केंद्र सरकार की टीमें भी भेजी जाती हैं।

जिन मामलों में केंद्र सरकार/राज्य सरकार की टीम द्वारा जांच के दौरान अधिकारियों/पंचायत अधिकारी/प्रधान इत्यादि के विरूद्ध शिकायत सही पाई जाती है उन मामलों में चूक करने वाले अधिकारियों को विरूद्ध तुरंत कार्रवाई की जाती है। चूक करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय ने राज्यों को निम्नलिखित कार्रवाई करने के सुझाव दिए हैं:-

(i) चूक करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए।

(ii) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत एफटीओ पर द्वितीय हस्ताक्षर करने वाले संबंधित बीडीओ और कार्यों का प्रमाणन एवं निरीक्षण करने वाले अन्य पर्यवेक्षकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

(iii) जिन मामलों में चूक करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई में देरी हो उन मामलों में अधिकारियों तथा अन्य संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया जाए।

(iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई का सोशल मीडिया सहित अन्य प्रचार माध्यमों पर व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

उपर्युक्त शिकायत निपटान व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि अपात्र परिवारों के चयन के मामलों या ऐसे अन्य मामलों में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

केंद्र सरकार द्वारा निधियों की समय पर रिलीज किए जाने के बावजूद राज्य अंश की रिलीज न किए जाने के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च, 2021 के बाद मार्च, 2024 तक पीएमएवाई-जी के विस्तार को इस उद्देश्य से अनुमोदित कर दिया है कि राज्य मार्च, 2024 तक 2.95 करोड़ मकानों के लक्ष्य को पूरा कर पाएं।"

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2021-आरएच-लेखा दिनांक: 06/01/2022)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैराग्राफ संख्या 8 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 5)

मंत्रालय ने यह स्वीकार करते हुए कि लाभार्थी के पास भूमि का स्वामित्व होता है, प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होता है और इकाई की लागत में काफी वृद्धि की गई है जैसे कारकों के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत इकाई सहायता में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और यह भी बताया कि 5 राज्य अर्थात, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, दादरा और नगर हवेली तथा आंध्र प्रदेश वित्तीय संस्थाओं से 70,000 रुपये की ऋण सुविधा की उपलब्धता के अतिरिक्त लाभार्थियों के लिए विशेष टॉप-अप योजनाएं चलाते हैं । इसको देखते हुए समिति महसूस करती है कि योजना के अंतर्गत निर्माण व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त

वित्त की आवश्यकता की पुन: जांच किए जाने की जरूरत है । समिति का मत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की इकाई सहायता को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की इकाई सहायता के बराबर नहीं लाने हेतु दिया गया मंत्रालय का विचार उनकी इस स्वीकारोक्ति को देखते हुए सही सिद्ध नहीं होता है कि लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि विभिन्न राज्य सरकारें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत घरों के निर्माण हेतु टॉप-अप सहायता प्रदान करें । दूसरा यह कि मंत्रालय की यह बात कि वर्तमान यूनिट सहायता लक्ष्यों को प्राप्त न किए जाने के कारणों में से एक नहीं है, पीएमएवाई- जी के चरण 1 के बैकलाग और चरण 2 के लक्ष्यों को प्राप्त न किए जाने संबंधी आंकड़ों से विरोधाभासी है । यही नहीं, रु 70000 की ऋण योजना लाभार्थियों को अपनी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के दृष्टिगत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन परिस्थितियों के कारण उनके लिए कुछ गिरवी रखना और उच्च ब्याज/प्रशासनिक लागत वहन करना असंभव हो जाता है । साथ ही,यह कहना कि अप्रैल 2016 से इकाई लागत में अत्यधिक बढ़ोतरी की गई है , उचित नहीं है क्योंकि इकाई–वार प्लॉट का आकार पूर्ववर्ती योजना के 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर पीएमएवाई- जी के अंतर्गत 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है और पिछले 5 वर्षों के दौरान विशेष रूप से दूरस्थ, पर्वतीय और दुर्गम मैदानी क्षेत्रों में परिवहन लागत में बढ़ोतरी के साथ –साथ कुल लागत में भी बढ़ोतरी हुई है । समिति आगे यह पाती है कि सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मामले में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है और देश के हिमालयी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित साइट पर भवन निर्माण सामग्री के परिवहन पर की जा रही उच्च परिवहन लागत के संबंध में समाधान सुझाया है । इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने अपने साक्ष्य में आगे बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त संकेतों के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए निधियों की कोई कमी नहीं होगी । इस संबंध में समिति का मानना है कि मंत्रालय के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह वर्तमान मूल्य सूचकांक के आधार पर पीएमएवाई-जी के अंतर्गत इकाई सहायता में कुछ बढ़ोतरी करने पर विचार करे और इस संबंध में समाधान सुझाए । अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि, चूँकि यह योजना अभी मध्य अवधि में है और लक्ष्यों को 2022 तक पूरा किया जाना है, इसलिए यह उचित होगा कि मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में सहायता लागत में रु. 10000 की बढ़ोतरी करने पर विचार किया जाए । समिति यह भी सिफारिश करती है कि राज्य योजनाओं के साथ विलय के माध्यम से ईकाई सहायता को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएं जिससे कि पीएमएवाई-जी योजना को सभी राज्यों में सफल बनाया जा सके ।

सरकार का उत्तर

"पीएमएवाई-जी के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता 1.20 लाख रुपये और दुर्गम क्षेत्रों,आईएपी जिलों, पहाड़ी राज्यों (संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख सहित) में 1.30 लाख रुपये है। इकाई सहायता के अलावा, महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ अनिवार्य तालमेल के माध्यम से लाभार्थियों को 90/95 श्रम दिवस की अकुशल मजूदरी की सुविधा भी प्रदान की जाती है। एसबीएमजी मनरेगा योजना अथवा किसी विशिष्ट वित्तपोषण स्रोत के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है। शौचालय सहित आवास के निर्माण के लिए लाभार्थियों को उपलब्ध कुल सहायता मैदानी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये दुर्गम क्षेत्रों में 1.60 लाख रुपये है।

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के पैरा संख्या 6.2.4 में यह प्रावधान है कि राज्य लाभार्थियों के लिए किफायती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की निर्माण सामग्री का प्रबंध भी कर सकते हैं। सामग्री बैंक की यह व्यवस्था उस स्थिति में लागू की जा सकती है जब लाभार्थियों ने निर्माण सामग्री खुले बाजार से खरीदने की बजाय राज्य सरकारों से प्राप्त करने के लिए सहमति दी हो। पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड सहित कुछ पहाड़ी राज्यों में राज्य सरकार लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के स्थान पर निर्माण सामग्री प्रदान करती है ताकि उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में किफायती दरों पर निर्माण सामग्री प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।

वृद्ध/नि:शक्त लाभार्थियों के मामले में ऐसे आवासों का निर्माण ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में करवाया जाता है।

पीएमएवाई-जी के तहत दिनांक 27 अक्तूबर, 2021 तक 2.07 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 1.61 करोड़ आवासों का निर्माण पहले ही पूरा कर लिया गया है। इस स्थिति में इकाई सहायता में वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं होगा।

इसके अलावा, मंत्रालय ने इस योजना को मार्च, 2021 से मार्च, 2024 तक बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की सहमति प्राप्त कर ली है जिसने पीएमएवाई-जी को मौजूदा फ्रेमवर्क के साथ जारी रखने की सिफारिश भी की है अत: वर्तमान में इकाई सहायता में किसी प्रकार की वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता।

पीएमएवाई-जी की पीडब्ल्यूएल में 4.46,058 भूमिहीन (जिनके पास आवास का निर्माण करने के लिए भूमि नहीं है) लाभार्थी हैं जिसमें से 2,05,847 लाभार्थियों को भूमि प्रदान की गई है अथवा भूमि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। असम, तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्यों में भूमिहीन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य की अपनी योजनाएं हैं।

कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को आवासों का निर्माण करने के लिए इकाई सहायता के अलावा अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जिनका विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अतिरिक्त सहायता राशि (रूपए में)**
1	गुजरात	आवास निर्माण पूरा होने की गति बढ़ाने के लिए, गुजरात सरकार पहली किस्त जारी करने के 6 महीने के भीतर अपने मकान का निर्माण करने वाले लाभार्थियों को 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है।
2	हरियाणा	18,000
3	हिमाचल प्रदेश	20,000
4	केरल	2,80,000
5	ओडिशा	आवास निर्माण पूरा होने की गति बढ़ाने के लिए, ओडिशा सरकार पहली किस्त जारी होने के 4 महीने के भीतर अपने मकान बनाने वाले लाभार्थियों को 20,000 रुपये और पहली किस्त जारी होने से 6 माह के भीतर अपने मकान का निर्माण करने वाले लाभार्थियों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है।
6	सिक्किम	मकान निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में लाभार्थियों को 30 सीजीआई शीट प्रदान की जा रही है।
7	तमिलनाडु	1,20,000
8	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	1,20,000

9	आंध्र प्रदेश	30,000 (मैदानी क्षेत्रों में); 20000 (आईएपी जिलों में)
10	कर्नाटक	30,000 (केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए)

(का. ज्ञा. सं. एच-11013/3/2021-आरएच-लेखा दिनांक: 06/01/2022)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैराग्राफ संख्या 11 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 9)

समिति इस बात की सराहना करती है कि भूमिहीनता के संबंध में उच्च स्तर पर कार्रवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत राज्यों को पीएमएवाई-जी लाभार्थियों में भूमिहीनता का नियमित रूप से आकलन करने के लिए और सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि (पंचायत की साझा भूमि, सामुदायिक भूमि अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि) में से भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है । तीन राज्य अर्थात बिहार , महाराष्ट्र और असम स्थल खरीदने हेतु क्रमशः 60000 रुपए, 50000 रुपए और 50000 रुपए देते हैं तथा ओडिशा द्वारा वसुधा योजना शुरू की गई है जिसमें सरकारी भूमि का आबंटन करने और सरकारी भूमि उपलब्ध न होने की दशा में आबंटन हेतु उचित भूमि खरीदने का प्रावधान है । समिति यह पाती है कि इन प्रयासों के बावजूद कुल 427975 भूमिहीन लाभार्थियों में से 229321 (65.26%) लाभार्थियों को अभी भूमि दी जानी है जो कि योजना की पूर्ण सफलता पर गंभीर प्रश्न चिह्न खड़ा करता है । अन्य राज्यों के साथ-साथ महाराष्ट्र में 81193, ओडिशा में 52731,तमिलनाडु में 43718 और असम में 29591 लाभार्थियों सहित कुल 279321 लाभार्थियों को अभी जमीन दी जानी है ।उक्त से यह स्पष्ट है कि ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग करने के लिए मकान बनाने हेतु स्थायी प्रतीक्षा सूची में भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का ब्योरा प्राप्त करने हेतु तैयार किए जा रहे आवास सॉफ्ट मॉड्यूल के साथ-साथ राज्यों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराने संबंधी योजना पर चार राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए । यह स्पष्ट है कि सरकारी

भूमि की अनुपलब्धता और अतिक्रमण के कारण कई बाधाएं आती हैं जिनका समयबद्ध रूप में समाधान किया जाना चाहिए । अतः,समिति यह सिफारिश करती है कि बाधाओं को दूर करने हेतु विद्यमान तंत्र को बेहतर बनाया जाना चाहिए जिससे कि मकान के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए गरीब लोगों में भूमिहीनता के मामले पर प्राथमिकता से विचार किया जा सके ।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध कर चुका है कि वे समयानुसार मुद्दे का समाधान करें और सभी भूमिहीन लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे सचिव (राजस्व) और पीएमजीएसवाई-जी के कार्य से संबद्ध सचिव को शामिल करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करें ताकि पीएमजीएसवाई-जी के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से भूमि आवंटित की जा सके। इस मामले को मंत्री (ग्रामीण विकास) के स्तर पर ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी उठाया गया है जिनमें पीएमजीएसवाई-जी के तहत भूमिहीन लाभार्थियों की अधिकतम संख्या है और वे उनके लिए भूमि के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, आवाससॉफ्ट पर एक भूमिहीन मॉड्यूल भी बनाया गया है, इस प्रकार पीएमजीएसवाई-जी के तहत बेहतर निगरानी तंत्र को अपनाने और भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि के समयानुसार प्रावधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण पत्राचार निम्नानुसार हैं:-

i. माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने अपने पत्रों (दिनांक 5 सितंबर, 2018 का अ.शा.पत्र स. 13011/05/2013-एलआरडी एवं दिनांक 30 अप्रैल, 2022 का अ.शा.पत्र स. जे-11014/01/2016-आरएच) में राज्यों/संघ राजय क्षेत्रों के माननीय मुख्यमंत्रियों प्रशासकों से अनुरोध किया है कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में भूमिहीन लाभार्थियों को शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने के लिए कार्यबल समिति का गठन करें।

ii. संयुक्त सचिव, ग्रामीण आवास ने अपने पत्र [अ.शा.पत्र स. जे-11060/07/2018-आरएच (एम एवं टी), दिनांक 4 जनवरी, 2019] में संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे समयानुसार भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध तरीके से आवश्यक कदम उठाएं।

iii. माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने अपने पत्र (संख्या जे- 11060/07/2018आरएच (एम एवं टी), दिनांक 16 सितंबर, 2019] में भूमिहीनों के लिए सहायता राशि हेतु बिहार राज्य की योजना का ब्यौरा साझा किया है।

iv. माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने मानवीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजे गए अपने पत्र [संख्या एम-12018/2/2016-आरएच (एम एवं टी), दिनांक 10.08.2020] में अनुरोध किया है कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से संबंधित सर्वाधिक पात्र भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को एमओटीए की किसी भी उपयुक्त योजना के अंतर्गत भूमि प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए।

v. माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (एमओएसजेई) की किसी भी उपयुक्त योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से संबंधित सर्वाधिक पात्र भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को भूमि प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए।

vi. सचिव, ग्रामीण विकास ने अपने पत्र (सं.जे-11014/01/2016-आरएच, दिनांक 9 अप्रैल, 2021) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया कि वे भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था में शीघ्रता लाने के लिए सदस्यों के रूप में राज्य ग्रामीण विकास सचिव तथा राजस्व सचिव को शामिल करते हुए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्य बल का गठन करें।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2021-आरएच-लेखा दिनांक: 06/01/2022)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैराग्राफ संख्या 17 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 11)

समिति को जांच और फील्ड दौरों के दौरान बैंक कर्मियों और ग्राम सभा कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से होने वाली अनियमितताओं का पता चला जबकि मंत्रालय ने बताया कि डीबीटी अंतरण को ऐसी चुनौतियों को दूर करने के लिए अपनाया गया था । समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि वास्तविकता का पता लगाने के लिए मंत्रालय को इस मुद्दे पर राज्य सरकारों और पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के विचार जानने चाहिए । समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय लाभार्थियों को सुचारु रुप से निधि के अंतरण के लिए त्रुटि रहित प्रणाली बनाएं और साथ ही पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवासों के पूर्ण होने के विभिन्न चरणों की निधि/किश्तों के अंतरण में जवाबदेही सुनिश्चित हो और अनियमितताएं न हों ।

सरकार का उत्तर

राज्यों/संघ क्षेत्रों में वास्तविक लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी निधियों की रिलीज के लिए डीबीटी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ने हाल ही में 01 नवंबर 2021 से आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लागू करने के लिए अ.शा.पत्र संख्या जे-11060/21/2021-आरएच, दिनांक 15 सितंबर, 2021 के जरिए पत्राचार किया है।

संबंधित लाभार्थियों के नाम से एफटीओ बनाते समय एसईसीसी रिकॉर्ड और बैंक ब्यौरों के बीच पीएमएवाई-जी लाभार्थी के नाम इत्यादि में मिलान न होने के कारण बीडीओ/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा नियंत्रण के माध्यम से पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को भुगतान करने से संबंधित मुद्दे ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष आए हैं। इस संबंध में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे उन लाभार्थियों का शत-प्रतिशत सत्यापन करें जिन्हें बीडीओ के नियंत्रण द्वारा पीएमएवाई-जी का लाभ प्राप्त हुआ है। अभी तक 1,03,02,534 बेमेल मामलों में से 114,19,299 मामलों का सत्यापन किया गया है। इसके

अतिरिक्त, जिन मामलों में अनियमितताएं पाई गई हैं, उन पर सरकार द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस मुद्दे पर लाभार्थियों/कर्मियों को भी प्रेरित किया जा रहा है।

मंत्रालय के ग्रामीण आवास प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिनांक 6 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों के पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के साथ चर्चा की है। इस चर्चा के दौरान लाभार्थियों ने ीएमएवाईज-जी के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि प्राप्त होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सभी लाभार्थियों ने सूचित किया है कि उन्हें सीधे उनके खाते में उनकी किस्तें मिल रही हैं।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2021-आरएच-लेखा दिनांक: 06/01/2022)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैराग्राफ संख्या 20 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या.12)

समिति यह नोट करती है कि इस योजना के अंतर्गत प्लास्टिक टैंक के साथ शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, तथापि, समिति मंत्रालय से इस संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त न होने से क्षुब्ध है । शौचालयों का निर्माण पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है । समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि शौचालयों को पूर्णतः चालू स्थिति में बनाए रखने हेतु मंत्रालय के बीच समन्वय होना चाहिए । आगे समिति ने स्वच्छ भारत मिशन योजना (एसबीएम) के साथ तालमेल के माध्यम से पीएमएवाई-जी इकाइयों में शौचालयों के निर्माण के पश्चात रु 12000 के विलंबित भुगतान का विषय उठाया और यह इच्छा व्यक्त की कि इस समस्या का समाधान संबंधित मंत्रालय के साथ समन्वय से निकाला

जाए । एमओआरडी के सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण में संरचनात्मक समस्याओं के कारण शौचालयों के निर्माण के पश्चात भुगतान में हो रहे विलंब की समस्या को स्वीकार किया तथा उनके समन्वय करके इस मामले के समाधान के लिए सहमति दी । समिति का मत है कि चूंकि नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 2014 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना में स्पष्ट रूप से तालमेल की कमी सहित अन्य कमियों को उजागर किए जाने के पश्चात, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पीएमएवाई -जी को अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल कर मूलभूत सुविधाओं को शामिल करने हेतु आरंभ किया गया था, अतः यह ग्रामीण विकास मंत्रालय का दायित्व बनता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों के साथ व्यापक समन्वय के द्वारा खामियों को दूर कर अन्य योजनाओं के साथ तालमेल कर योजना का उद्देश प्राप्त करे ना कि यह कहते हुए अपने दायित्व से बचे कि प्रश्नगत विषय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित है । अतः समिति यह सिफारिश करती है कि पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों के कल्याण के लिए लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए तालमेल हेतु उत्तरदायी मंत्रालयों के साथ समन्वय करके कमियों/चुनौतियों का समाधान किया जाए जिससे शौचालयों को पानी के कनेक्शन के साथ चालू किया जाना और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके । समिति आगे यह इच्छा व्यक्त करती है कि पानी के कनेक्शन के साथ मुहैया करायी जा रही पीएमएवाई -जी इकाइयों की संख्या से संबंधित जानकारी को आवास ऐप में त्वरित जानकारी/परिणाम के लिए शामिल किया जाए ।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने बिजली कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, पेयजल, शौचालय निर्माण इत्यादि के लाभ प्रदान करने के लिए संबद्ध मंत्रालयों, जिनके साथ पीएमएवाई-जी को जोड़ा गया है, के साथ तालमेल एवं समन्वय के स्तर के विश्लेषण पर एक समिति पहले ही गठित कर दी है।

मंत्रालय ने तालमेल के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु एनआईआरडी एवं पीआर के माध्यम से किए जाने वाले अध्ययन की योजना पहले ही बना ली है। मंत्रालय योजनाओं के एमआईएस के मध्य आंकड़ों के अंतरण के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहित संबद्ध मंत्रालयों, जिनके साथ पीएमएवाई-जी को जोड़ा गया है, के साथ परामर्श कर रहा है, ताकि पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को दिए जाने वाले तालमेल के लाभ आवाससॉफ्ट एमआईएस पर उपलब्ध हों। यह उल्लेख किया जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की संबंधित योजनाओं के साथ प्रभावी तालमेल के लिए निगरानी और सुझाव प्रदान करने के लिए संबंद्ध मंत्रालयों के सदस्यों को शामिल करते हुए अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

दिनांक 23.11.2021 की स्थिति के अनुसार आवाससॉफ्ट में प्राप्त की गई तालमेल की स्थिति निम्नानुसार है:-

कुल पूरे किए गए	**ऐसे मकानों की कुल संख्या जिनके लिए तालमेल आंकड़े दर्ज किए गए हैं।**	**निर्मित शौचालय**	**बिजली कनेक्शन**	**एलपीजी कनेक्शन**	**पानी का कनेक्शन**
16433787	6935328	6495745	6503424	6122399	3886495

(का.ज्ञा. सं. एच-11013/3/2021-ग्रामीण आवास- लेखा दिनांक :06/01/2022)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैराग्राफ संख्या 23 देखें)

अध्याय- पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार से अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

शून्य

नई दिल्ली;
14 मार्च, 2022
23 फाल्गुन, 1943 (शक)

प्रतापराव जाधव
सभापति,
ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध एक

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

समिति की सोमवार, 14 मार्च, 2022 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1500 बजे से 1600 तक नई समिति कक्ष संख्या '2', संसद भवन एनेक्सी विस्तार भवन, ब्लॉक -'ए' (पीएचए-विस्तार 'ए'), नई दिल्ली.

उपस्थित

श्री प्रतापराव जाधव - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ए.के.पी चिनराज
3. श्री विजय कुमार दुबे
4. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
5. डॉ. मोहम्मद जावेद
6. श्री नलीन कुमार कटील
7. श्री नरेन्द्र कुमार
8. श्री जनार्दन मिश्र
9. श्रीमती गीताबेन वजेसिंगभाई राठवा
10. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
11. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
12. डा. आलोक कुमार सुमन
13. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

14. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
15. श्री शमशेर सिंह ढुलो
16. श्री ईरण्ण कड़ाड़ी
17. श्री नारणभाई जे राठवा
18. श्री राम शकल
19. श्री अजय प्रताप सिंह

सचिवालय

1. श्री डी.आर. शेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री ए. के. शाह - निदेशक
4. श्री निशांत मेहरा - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने XXX XXX XXX, XXX XXX XXX तथा XXX XXX XXX तथा` XXX संबंधी XXX XXX XXX एवं 'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)' विषय पर ग्रामीण विकास विभाग संबंधी एक एक्शन टेकन प्रतिवेदन पर विचार करने और उन्हे स्वीकार करने हेतु बुलाई गई इस बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित चार प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया:-

(एक) XXX XXX XXX;

(दो) XXX XXX XXX;

(तीन) XXX XXX XXX और

(चार) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) पर सोलहवीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई.

4. प्रारूप प्रतिवेदनों पर क्रमवार विचार किया गया तथा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने उक्त प्रतिवेधनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात, समिति ने कार्यकारी सभापति को उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इन्हे संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

******

XXX प्रारूप प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है

अनुबंध - दो

(<u>देखिए</u> प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा सं 4)

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

एक. सिफारिशों की कुल संख्या 19

दो. टिप्पणियाँ / सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

क्रम सं. 1,3,4,6,7,8,10,13,14,15,16,17,18,19

कुल - 14

प्रतिशत- 73.7%

तीन. टिप्पणियाँ / सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

क्रम सं. - शून्य

कुल- 00

प्रतिशत- 0%

चार. टिप्पणियाँ / सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं

क्रम सं. 2,5,9,11,12

कुल- 05

प्रतिशत- 26.3%

पांच. टिप्पणियाँ / सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

क्रम सं. - शून्य

कुल- 00

प्रतिशत- 0%